18

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण विभाग

अनुदानों की मांगें (2022-23)

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन
'अनुदानों के लिए मांगों (2022-23) ' में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर
सरकार द्वारा की गई कार्यवाई

अठारहवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ **अग्रहायण, 1944**(शक)

अठारहवाँ प्रतिवेदन

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण विभाग

अनुदानों की मांगें (2022-23)

जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदानों के लिए मांगों (2022-23) पर **पन्द्रहवें** प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई

20.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

20.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ **अग्रहायण, 1944**(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
	समिति की सरंचना	(iii)
	प्राक्कथन	(v)
अध्याय एक	प्रतिवेदन	1
अध्याय दो	सिफारिशें / टिप्पणियाँ, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है	15
अध्यायतीन	सिफारिशें / टिप्पणियाँ जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरो को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती	42
अध्यायचार	सिफारिशें / टिप्पणियाँ जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरो को स्वीकार नहीं किया है	43
अध्यायपांच	सिफारिशें / टिप्पणियाँ जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	51

अनुबंध

I	जल संसाधन सम्बन्धी स्थाई समिति की 15.12.2022 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश	52
II	06.06.2022 के अनुसार सीजीडब्ल्यू में रिक्तियों को भरे जाने की स्थिति	54
III	भूजल मॉनिटरिंग कुओं की स्थिति (मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)	68
IV	समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (17 वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का विश्लेषण	70

डब्ल्यू.आर.सी. सं. 73

मूल्यः रुपए

© 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों (सोलहवाँ संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल - सभापति

लोक सभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री भागीरथ चौधरी
5. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी
6. श्री गुमान सिंह दामोर
7. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
8. डॉ. के. जयकुमार
9. श्री धनुष एम. कुमार
10. श्री सुनील कुमार
11. श्री अकबर लोन
12. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
13. श्री हँसमुखभाई एस.पटेल
14. श्री संजय काका पाटील
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. सुश्री नुसरत जहां
17. श्रीमती अगाथा के. संगमा
18. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
19. श्री चन्दन सिंह
20. श्री डी. के. सुरेश
21. श्री एस.सी. उदासी

राज्य सभा

22. श्री एच. डी. देवेगौड़ा
23. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
24. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
25. श्रीमती मौसम नूर

26. श्री शरद पवार
27. श्री वी. विजयेंद्र प्रसाद
28. श्री अरुण सिंह
29. संत बलबीर सिंह
30. श्री प्रमोद तिवारी
31. रिक्त

सचिवालय

1. श्री चंदर मोहन	- संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद	- निदेशक
3. श्री राम लाल यादव	- अपर निदेशक
4. श्री गौरव जैन	- सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी तरफ से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर **समिति का ये अठारहवाँ प्रतिवेदन** प्रस्तुत करता हूँ जो जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदानों के लिए मांगों (2022-22) पर पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई के बारे में है।

2. समिति का पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन 23 मार्च 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के उतर 23 जून 2022 को प्राप्त हो गए थे।

3. सरकार के उतरो की जाँच की गयी और समिति ने 15.12.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. समिति के **पन्द्रहवें** प्रतिवेदन (17 लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाई का विश्लेषण परिशिष्ट - IV में दिया गया है।

नई दिल्ली;
16 दिसंबर, 2022
25 अग्रहायण, 1944(शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल
सभापति
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

<u>अध्याय – एक</u>

प्रतिवेदन

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का यह प्रतिवेदन जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अनुदानों की मांगें **(2022-23)** संबंधी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (**17**वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

2. पन्द्रहवां प्रतिवेदन 23.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 18 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. समिति की सभी 18 टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई टिप्पण सरकार से प्राप्त हो गए हैं। इनकी जांच की गई है और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (अध्याय-दो):

सिफारिश क्र. सं. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, और 18

(कुल-15)

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती (अध्याय-तीन):

सिफारिश क्र. सं. शून्य

(कुल-00)

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है (अध्याय-चार):

सिफारिश क्र. सं. 3,11 और 15 (कुल-03)

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (अध्याय-पांच):

पैरा सं. शून्य

(कुल-00)

4. समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में की गई सिफ़ारिशों के उत्तर समिति को शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं।

5. समिति अब अपनी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी जिन्हें दोहराए जाने अथवा जिनके संबंध में गुणावगुण टिप्पणियाँ किए जाने की आवश्यकता है।

क . <u>जल संसाधन परिदृश्य</u>

<u>सिफारिश सं. 3 (पैरा सं. 2.3)</u>

6. समिति ने नोट किया कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर है और देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता उत्तरोत्तर कम हो रही है। वर्ष **2001** और **2011** में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः **1816** घन मीटर और **1545** घन मीटर आंकलित की गई थी जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कम हो सकती है। **1700** क्यूबिक मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है जबकि **1000** क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है। समिति ने चिंता के साथ यह भी नोट किया है कि देश में सबसे बड़ा जल की खपत करने वाला क्षेत्र कृषि है, जिसके बाद घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र (क्षेत्रों) हैं। समिति को यह बताया गया था कि विभाग ने प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम अर्थात जल शक्ति अभियान का शुभारंभ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का निर्माण, राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन (एनएक्यूआईएम) का कार्यान्वयन, अटल भुजल योजना (अटल जल) आदि उठाए थे। इन उपायों के बावजूद, समिति का विचार था कि कृषि क्षेत्र में जल की खपत को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। समिति का मानना था कि नमी सेंसर जैसी आधुनिक प्रोद्योगिकी के प्रयोग के साथ फसल विविधीकरण और फसल योजना से पानी के कम उपयोग के साथ अधिक उत्पादन करके प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में सुधार करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। अतः समिति ने सिफारिश की कि कृषि क्षेत्र में जल के उपयोग को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर सक्रिय कदम उठाए और काम करे। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आर्थिक सहायता प्राप्त बिजली और उर्वरक ने किसानों को जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी जल गहन फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया था, समिति का यह सुविचारित मत था कि संस्थागत परिवर्तन समय की मांग है। अतः समिति विभाग से कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह की थी ताकि ऊर्जा सक्षम मूल्य निर्धारण के

विकल्प का पता लगाया जा सके, जो भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकें।

7. विभाग ने अपने की-गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत उत्तर दिया है:

"सीजीडब्ल्यूबी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्वावधान में एक संबद्ध निकाय है जिसने बारहवीं योजना के दौरान 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' योजना के अंतर्गत जलभृत्त मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। जलभृत मानचित्रण का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशेष भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने में जलभृत की स्थिति और उसके लक्षणों की पहचान करना है। कृषि क्षेत्र जैसे फसल विविधता, छिड़काव प्रणाली, ड्रिप सिंचाई इत्यादि सहित प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उचित उपाय/कार्यान्वयन करने के लिए साझा किया जाता है। इसके अलावा, किसानों सहित हितधारकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम के भाग के रूप में जलभृत प्रबंधन योजनाओं के सिद्धांतों के प्रसार हेतु जमीनी स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रम (पब्लिक इंटरैक्शन प्रोग्राम) आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक, देश के विभिन्न हिस्सों में 1,093 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 'अति-दोहित' और 'गंभीर' भूजल क्षेत्र शामिल हैं, जहां किसानों सहित लगभग 90,000 लोगों को जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में संवेदनशील बनाया गया है। एनएक्यूयूआईएम आउटपुट को राज्य भूजल समन्वय समितियों (स्टेट ग्राउंड वाटर कॉर्डिनेशन कमेटी) के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है, जिनकी अध्यक्षता संबंधित राज्यों के संबंधित प्रधान सचिव करते हैं। वर्ष 2018 से, सीजीडब्ल्यूबी ने जिला प्राधिकरणों के साथ एनएक्यूयूआईएम की सिफारिशों को साझा करना शुरू कर दिया है और अब तक, 377 जिलों के संबंध में आउटपुट पहले ही जिला प्राधिकरणों के साथ साझा किए जा चुके हैं। आउटपुट को प्रभावी उपयोग के लिए अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी साझा किए जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी जरूरत के हिसाब से राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता का अनुरोध किए जाने पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। निजी व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा जल संरक्षण की उत्कृष्ट प्रणालियों को संकलित किया गया है जिसे इस विभाग की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है। जनता से इनपुट प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट प्रणालियों पर एक इंटरैक्टिव लिंक भी बनाया गया है जिसे जनता के फायदे के लिए आवश्यक मूल्यांकन/सत्यापन के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

देश के विभिन्न भागों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना के तहत प्रत्येक वर्ष समय-समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम (प्रशिक्षण,

सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, व्यापार मेले और पेंटिंग प्रतियोगिता आदि) आयोजित किए जाते हैं जिससे कि सिंचाई क्षेत्र सहित जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके।

कृषि क्षेत्र में फसलों की विविधता और जल उपयोग दक्षता के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 14.11.2019 को एक जागरूकता अभियान अर्थात 'सही फसल' अभियान शुरू किया गया था जिससे कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा सके जिसमें जल की कम खपत हो और जो जल का बहुत कुशलता से उपयोग करती हों; आर्थिक रूप से लाभकारी हों; स्वस्थ और पौष्टिक हों; जो क्षेत्र की कृषि-जलवायु-जलीय विशेषताओं और पर्यावरण के अनुकूल हों। सही फसल के अंतर्गत 14.11.2019 को अमृतसर (पंजाब) में, 13.01.2020 को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में और 14.02.2020 को कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में और 26-27.11.2019 को नई दिल्ली में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन किया गया है।

*माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22.03.2021 को 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान देश भर में - प्री-मानसून और मानसून अवधि में सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों के परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए जल शक्ति अभियान : कैच द रेन अभियान को शुरू किया गया था। देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन - 2022 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29.03.2022 को "**कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, वेहन इट फाल्स**" थीम के साथ शुरू किया गया है। देश में प्री-मानसून और मानसून अवधि में अभियान को 29 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक लागू किया जाएगा।*

देश के सभी ग्रामीण और शहरी जिलों में प्री-मानसून और मानसून अवधि दिनांक 29.03.2022 से 29.03.2022 के दौरान वर्षा जल संचयन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 10 सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त अर्ध-शासकीय पत्र दिनांक 15.04.2022 को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन - 2022 अभियान के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रधान सचिवों को लिखा गया था। जल के पुन: उपयोग, रि-साइकलिंग और पुनर्भरण का सिद्धांत अभियान में निहित रहेगा और उपयोग किए गए या अपशिष्ट जल विशेष रूप से ग्रे-वाटर प्रबंधन भी अभियान का हिस्सा होगा।

चूंकि, देश आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए देश के प्रत्येक जिले में 'अमृत सरोवर' नाम से 75 जल निकायों को सृजित करने या पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल, 2022 को राष्ट्र को संबोधित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया। इस दिशा में

प्रयास पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और 24 अप्रैल, 2022 से 15 अगस्त, 2023 तक अमृत काल के दौरान देश भर में लगभग 50,000 अमृत सरोवर पूरे किए जाएंगे। इस संबंध में 18.04.2022 को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के 6 सचिवों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक संयुक्त सलाह भी जारी की गई है। अमृत सरोवरों के साथ जिलेवार योजना साझा करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कार्य योजना में जीपीएस मैपिंग और कार्य को पूरा करने की आवश्यक अवधि शामिल होनी चाहिए। स्थलों को अंतिम रूप से चयन करते समय, जिलों को विशेष रूप से पेयजल के संदर्भ में जल की कमी वाले ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जल की खपत कम करने के लिए समिति की सिफारिश का भी अनुपालन किया जा रहा है, जहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, फसल की विविधता आदि का उपयोग करते हुए ऐसे कार्यों में मांग पक्ष के कार्यों के माध्यम से जल दक्षता के संवर्धन से कुशल सिंचाई पर जोर दिया गया है। राज्यों को इन मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में कृषि और संबंधित मामलों में जल के अधिक कुशल उपयोग पर चर्चा करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 13.04.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी। "

8. समिति इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने समिति की विशिष्ट सिफारिश पर कोई उत्तर नहीं दिया है, जिसमे विभाग से आग्रह किया गया कि **विभाग कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ गहन सहयोग लेकर ऊर्जा कुशल मूल्य निर्धारण के विकल्प का पता** लगाए **जो** की **भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृषि में जल के उपयोग का प्रबंधन जल की बड़े पैमाने पर बर्बादी को रोकने का एक तरीका है, समिति अपनी सिफारिश को दोहराती है कि विभाग को कृषि क्षेत्र में जल के लगातार उपयोग के लिए प्रभावी जल मूल्य निर्धारण के लिए कृषि मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर सक्रिय रूप से इस विकल्प का पालन करें। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के** 3 **महीने के भीतर अवगत होना चाहती है।**

ख. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)

सिफारिश सं. 9 (पैरा सं. 2.9)

9. समिति ने नोट किया कि एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को भारत के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक व सतत विकास एवं प्रबंधन और साथ ही उनके दोहन, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से बचाव और आर्थिक व पारिस्थितिक दक्षता एवं इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर उनके वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रसार, निगरानी एवं राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तथापि, समिति विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से चिंता के साथ यह नोट की थी कि सीजीडब्ल्यूबी श्रमशक्ति के अभाव की गंभीर समस्या से ग्रसित हो चुका है जिससे उसके विभिन्न कार्य बाधित हो रहे हैं। बोर्ड में इस समय कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कुल 4017 में 32 फीसदी यानी लगभग 1300 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा, वैज्ञानिक श्रेणी में स्वीकृत 882 पदों में से केवल 545 पद भरे हुए हैं और लगभग 38 फीसदी (337) पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसी तरह, इंजीनियरिंग श्रेणी में 1868 स्वीकृत पदों में से 1338 पद भरे हुए हैं और 530 पद (39.61%) रिक्त हैं। समिति यह जानकर निराश थी कि सीजीडब्ल्यूबी में सामान्य संवर्ग में, और विशेषकर वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग संवर्ग में मानव संसाधनों का इतना बड़ा अभाव है जो कि विभाग के ऐसे महत्वपूर्ण अंग के प्रति विभाग के उदासीन रवैये को इंगित करता है। समिति का मत था कि जनशक्ति की इतनी कमी सीजीडब्ल्यूबी के सुगम कार्यकरण के लिए अच्छी बात नहीं थी। अतः समिति इस बात की सिफारिश की थी कि विभाग सभी रिक्तियों को, विशेषकर सीजीडब्ल्यूबी की रीढ़ माने जाने वाली अपनी वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग प्रशाखाओं में पदों को, सक्रियता से व अतिआवश्यक आधार पर अतिशीघ्र भरने के लिए तत्काल उपाय करें। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

10. विभाग ने अपने की-गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत उत्तर दिया है:

"सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अपनी जनशक्ति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं:

1. सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरने की मांग शुरू की जा चुकी है और इसे यूपीएससी/एसएससी को प्रस्तुत कर दिया गया है।

2. प्रोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की गई है/की जा रही है।

3. सीजीडब्ल्यूबी की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, युवा पेशेवरों और सलाहकारों को अनुबंध के आधार पर लिया जा रहा है।

सीजीडब्ल्यूबी में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विषयों में रिक्त पदों को भर्ती करने वाली एजेंसियों अर्थात् यूपीएससी और एसएससी से प्राप्त हो रहे नामांकन के अनुसार भरा जाएगा।

सीजीडब्ल्यूबी में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्रों विषयों में रिक्त पदों का विवरण और रिक्तियों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदम ***अनुलग्नक-II*** *में दिए गए हैं।*

11. समिति इस बात से चिंतित है कि विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुभागों में लंबे समय से जनशक्ति की कमी केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के कामकाज में बाधा डाल रही है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार, वैज्ञानिक व सतत् विकास की राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी एवं कार्यान्वयन और भारत के भूजल संसाधनों के दोहन, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से बचाव और आर्थिक व पारिस्थितिक दक्षता व समानता के सिद्धांतों पर आधारित वितरण समेत उनके प्रबंधन की भारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति ने समय-समय पर अपने पिछले डीएफजी प्रतिबेदनों में इस मुद्दे को उठाया है। विभाग ने अब सीजीडब्ल्यूबी की जनशक्ति बढ़ाने के लिए अपने उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। समिति आशा करती है कि विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे और विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुभागों में पदों को सीजीडब्ल्यूबी के उचित कामकाज के लिए तत्काल भरा जाएगा, जिससे भूजल संसाधनों की निरंतरता और उनके कुशल उपयोग के लिए, उनका उचित और कुशल प्रबंधन होगा।

ग. <u>'भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882' में संशोधन</u>

<u>सिफारिश सं. 11 (पैरा सं. 2.11)</u>

12. समिति ने नोट किया कि यद्यपि भारत सरकार ने देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए थे और कुछ कार्यक्रम शुरू किए थे, तथापि, संस्थागत ढांचे में अब भी कुछ अंतर हैं, जिनमें से एक 'भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882' है, जो भूजल नियंत्रण के लिए एक रुकावट है। यह अधिनियम भूजल पर सुखभोग अधिकारों के सृजन को प्रतिबंधित करता है और मालिक को अपनी संपत्ति के नीचे के पानी पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है, जिससे वह इसे जैसा उपयुक्त समझे उपयोग कर सके, जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर भूजल के उपयोग हेतु खुदाई करनी पड़ती है, जिसके कारण इसका अत्यधिक दोहन होता है। जल स्तर की बिगड़ती गुणवत्ता के साथ-साथ जल स्तर के खतरनाक स्तर तक कम होने का संज्ञान लेते हुए, समिति ने विभाग से 'भारतीय सुखाचार

अधिनियम, 1882' में संशोधन करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया ताकि विधायी और संस्थागत समर्थन प्रदान करके भूजल संरक्षण तंत्र में मौजूद कमियों को आवश्यक रूप से दूर किया जा सके।

13. विभाग ने अपने की-गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत उत्तर दिया है:

"सुखाचार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में संयुक्त सचिव (प्रशासन, आईसी और जीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2022 *को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी, सदस्य, सीजीडब्ल्यूए, निदेशक (भूजल, ज.सं. न.वि. और गं.सं. विभाग) और विधि औरन्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विधि और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि भारतीय सुखाचार अधिनियम,* 1882 *में संशोधन का विषय जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी है और आवश्यकता होने पर वह संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है।*

इस बैठक में भूजल प्रवाह के मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान और एनएक्यूयूआईएम अध्ययन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों पर विचार करते हुए एक प्रश्न उठाया गया था कि जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था कि भूजल प्रवाह छिछले और गहरे जलभृतों के आधार पर वाटर टेबल ऐलिवेशन से गुजरता है। और गहरे जलभृतों के पीजोमेट्रिक हेड स्थित है तो क्या इंडियन इज़मेन्ट एक्ट, 1882 *में संशोधन अपेक्षित होगा या नहीं।*

इस संबंध में, सीजीडब्ल्यूबी ने दिनांक 24 *मई* 2022 *को ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया जिसमें सीजीडब्ल्यूबी के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों और सीजीडब्ल्यूबी के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भाग लिया।*

विचार-मंथन सत्र के परिणाम से पता चला कि इंडियन इज़मेन्ट एक्ट, 1882 *की धारा* 7 *(बी) (जी) में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि धारा* 7 *(बी) (जी) के स्पष्टीकरण में एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण को जोड़ा जा सकता है जो कि यह है-"भू सतह के नीचे बहने वाला भूजल हाइड्रोलिक हेड और वॉटर टेबल कॉन्टूरिंग के बाद एक निश्चित चैनल में बहता है"। इसलिए, भूमि के मालिक को अपनी जमीन के नीचे बहने वाले पानी का उपयोग जैसा उचित समझे, करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि,* 7 *(बी) (जे) में उल्लिखित मालिक का अधिकार वही रहता है।"*

14. समिति को बताया गया है कि विभाग ने 24 मई 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया है जिसमें सीजीडब्ल्यूबी के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों और सीजीडब्ल्यूबी के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भाग लिया, जिससे यह बात सामने आई कि भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की (बी) जी) धारा 7 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, धारा 7 (बी) (जी) के स्पष्टीकरण में एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण जोड़ा जा सकता है जो यह बताता है कि "भूमि की सतह के नीचे बहने वाला भूजल हाइड्रोलिक हेड और वॉटर टेबल कॉन्टूरिंग" के अनुदिश एक निर्दिष्ट चैनल में बहता है। इसलिए, भूमि के मालिक को अपनी भूमि के नीचे बहने वाले जल के उपयोग उचित समझे जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। हालांकि, 7 (बी) (जे) में उल्लिखित मालिक का अधिकार वही रहता है। समिति विभाग के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि विधायी और संस्थागत ढांचा प्रदान करके ग्राउंड वाटर टेबल के घटते स्तर की समस्या को दूर करने के लिए किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के संबंध में विभाग के की-गई-कार्रवाई उत्तर में कुछ नहीं बताया गया है। समिति का मानना है कि भूजल पर सुगमता अधिकार सृजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जल संसाधनों के दोहन और प्रदूषित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सुखाचार अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। अतः, समिति अपनी सिफारिश दोहराती है कि विभाग 'भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882' में आवश्यक संशोधन करने के लिए ठोस प्रयास करे।

घ. <u>राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना- अन्य बेसिन</u>

<u>सिफारिश सं. 15 (पैरा सं. 2.15)</u>

15. समिति ने नोट किया कि 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)' की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नदियों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जबकि केंद्र और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के बीच कैपेक्स की साझेदारी की जाती है और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा 100% प्रचालनात्मक व्यय वहन किया जाता है। समिति ने यह भी नोट किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनआरसीपी - अन्य बेसिन के लिए 250.68 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो कि नमामि गंगे मिशन दो परियोजना के तहत गंगा नदी के लिए निर्धारित 2800 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में एक मामूली राशि है। इस संबंध में, विभाग ने समिति को बताया है कि यदि आवश्यक हुआ तो आरई स्तर पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाएगी। तथापि, इस संबंध में समिति यह बताना चाहेगी कि डीएफजी (2020-21) की जांच के दौरान, इस योजना के तहत अल्प आवंटन के मुद्दे पर

(वित्त वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान मात्र 220 करोड़ रुपये था), विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत संशोधित योजना का अनुमोदन प्राप्त होने पर अधिक आवंटन की मांग की जाएगी। समिति, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनआरसीपी देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों को कवर करता है, इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केवल 250.68 करोड़ रुपये के अल्प आवंटन से संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार समिति यह मानने के लिए बाध्य है कि विभाग ने इस अतिमहत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के अपने प्रयासों में कठोर और उदासीन रवैया प्रदर्शित किया है। समिति का यह सुविचारित मत है कि देश की अन्य सभी प्रमुख नदियाँ गंगा नदी के समान ही प्रदूषित हैं, और उन्हें समान ध्यान और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसलिए, समिति, विभाग से संशोधित अनुमान चरण, अनुपूरक मांग चरण में इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करने हेतु सक्रिय कदम उठाने की सिफारिश करती है। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

समिति ने यह भी नोट किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनआरसीपी - अन्य बेसिन हेतु 250.68 करोड़ रुपये की धन राशि रखी गई थी, जो कि नमामि गंगे मिशन दो परियोजना के तहत गंगा नदी के लिए निर्धारित 2800 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में एक मामूली राशि थी। इस संबंध में, विभाग ने समिति को बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो आरई स्तर पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाएगी। तथापि, इस संबंध में समिति यह बताना चाहेगी कि डीएफजी (2020-21) की जांच के दौरान, इस योजना के तहत अल्प आवंटन के मुद्दे पर (वित्त वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान मात्र 220 करोड़ रुपये था), विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत संशोधित योजना का अनुमोदन प्राप्त होने पर अधिक आवंटन की मांग की जाएगी। समिति, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनआरसीपी देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों को कवर करता है, इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केवल 250.68 करोड़ रुपये के अल्प आवंटन से संतुष्ट नहीं थी। इस प्रकार समिति यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य थी कि विभाग ने इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के अपने प्रयासों में कठोर और उदासीन रवैया प्रदर्शित किया था। समिति का यह सुविचारित मत था कि देश की अन्य सभी प्रमुख नदियाँ भी गंगा नदी के समान ही प्रदूषित हैं, और उन्हें भी समान ध्यान और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसलिए, समिति ने विभाग से संशोधित अनुमान चरण, अनुपूरक मांग चरण में इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करने हेतु सक्रिय कदम उठाने की सिफारिश की। समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से उसे अवगत कराया जाए।

16. विभाग ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत उत्तर दिया है:

"एनआरसीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ शासित प्रदेश (यूटी) सरकारों के बीच पूंजीगत व्यय को साझा किया जाता है, और परिचालन व्यय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) सरकारों द्वारा 100% वहन किया जाता है। साथ ही वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल परिव्यय 1,252 करोड़ रुपये है, जिसका औसत वार्षिक परिव्यय लगभग 225 करोड़ रुपये है। नमामि गंगे मिशन- II के मामले में पूंजीगत और परिचालन व्यय दोनों एनएमसीजी द्वारा वहन किए जाते हैं।

इसके अलावा, नमामि गंगे मिशन और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बीच फंडिंग पैटर्न में भी अंतर है। एनजीएम 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जबकि एनआरसीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार सामान्य रूप से गैर-पूर्वोत्तर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में निधि का 60% और एनईआर, हिमालयी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 90:10 की सीमा तक धन देती है। यही कारण है कि एनएमसीजी और एनआरसीपी के बीच बजटीय आवंटन का अंतर बहुत अधिक है।

नदियों की सफाई और कायाकल्प एक सतत प्रक्रिया है। देश में नदियाँ और अन्य जल निकाय मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अशोधित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और उनसे संबंधित जलग्रहण क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन के कारण प्रदूषित हैं। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी), स्थानीय निकायों और औद्योगिक इकाइयों की जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों के तटीय जल या भूमि में प्रदूषण के निर्वहन से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के आवश्यक उपचार को निर्धारित मानदंडों तक के लिए रोकना और उन्हें नियंत्रित करना सुनिश्चित करें। नदियों के संरक्षण हेतु गंगा बेसिन में नदियों हेतु नमामी गंगे की केन्द्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के केन्द्र प्रायोजित योजना द्वारा देश में नदियों के चिन्हित खंडों में प्रदूषण को रोकने के लिए यह विभाग वित्तीय एवं तकनीकी सहायता द्वारा राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा कर रहा है।

एनआरसीपी ने अब तक देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों के प्रदूषित हिस्सों को कवर किया है, जिसकी परियोजना स्वीकृत लागत 6,050.18 करोड़ रुपए है, और अन्य बातों के साथ-साथ, 2,677 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है।

प्रदूषित नदी क्षेत्रों के साथ चिन्हित शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों/योजनाओं के प्रस्ताव एनआरसीपी के तहत समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विचारार्थ प्राप्त होते हैं, जिन्हें उनकी प्राथमिकता, और

एनआरसीपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। आरई स्तर पर, समिति की सिफारिश के अनुपालन में अतिरिक्त निधियों की अनुपूरक मांग की जा सकती है।"

17. **समिति विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए की गई कार्रवाई उत्तर से नोट करती है कि विभाग ने केवल 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)' और नमामि गंगे कार्यक्रम के बजटीय आवंटन में भारी अंतर का कारण बताया है और समिति द्वारा अपनी सिफारिश में उठाए गए मुद्दे पर कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है अर्थात एनआरसीपी के बजटीय आवंटन को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय कदम उठाना देश की कई नदियों की दयनीय स्थिति और उनमें बढ़ते प्रदूषण, मनुष्यों के साथ-साथ अन्य वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित होते जीवन को ध्यान में रखते हुए समिति एनआरसीपी के तहत बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करने की अपनी सिफारिश को दोहराती है ताकि भारत की अन्य प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके । समिति आगे आशा करती है कि आरई स्तर पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए और समिति की सिफारिश के अनुपालन में अतिरिक्त निधियों की अनुपूरक मांग की जाए।**

ङ. <u>राष्ट्रीय तटबंध नीति बनाने की आवश्यकता</u>

सिफारिश सं. 17 (पैरा सं. 2.17)

18. समिति यह समझती है कि वर्तमान में देश में नदी तटों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कोई व्यापक तटबंध नीति नहीं थी । इस संबंध में, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य थी कि विभाग ने राष्ट्रीय तटबंध नीति बनाने के संबंध में पूछे गए उनके प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया था। विभाग ने केवल यह बताया कि बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, और इसलिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी परियोजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती है। यह भी बताया गया कि तटबंधों के रख-रखाव और और अनुरक्षण के मुद्दे से अवगत कराने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, तथापि, राज्य सरकारें उनके पास निधियों की कमी के कारण आवश्यकता के अनुसार तटबंधों का अनुरक्षण करने में विफल रहती हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि तटबंधों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों के लिए कहर बरपाती है और अनेक मुसीबतें लेकर आती है, समिति का सुविचारित मत था कि यदि तटबंधों का समुचित अनुरक्षण किया जाए तो वे बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, समिति ने विभाग से अपनी निर्धारित नीति/स्थिति की समीक्षा करने और नदी तटों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप

से पालन किए जाने वाले नयाचारों, एसओपी को विनिर्दिष्ट करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय तटबंध नीति तैयार करने के लिए अर्थोपाय का पता लगाने का आग्रह किया। इसके अलावा, समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि विभाग को तटबंधों के रखरखाव के लिए जरूरतमंद राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पड़ोसी देश से उद्गम वाली नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ के संकट के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बार-बार होने वाली तबाही का संज्ञान लेते हुए, समिति ने यह भी सिफारिश की कि विभाग बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाए।

19. विभाग ने अपने की गई कार्रवाई टिप्पण में निम्नवत उत्तर दिया है:

"कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों के दायरे में आती है, केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रचार वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाती है। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, के चल रहे बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत, राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों को वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बाढ़ प्रबंधन / कटाव रोधी परियोजनाओं को शुरू करने हेतु 2,252.53 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। एफएमबीएपी के तहत 415 पूर्ण परियोजनाओं ने लगभग 4.99 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 52.21 मिलियन की आबादी की रक्षा की है।

भारत सरकार प्रभावी बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, शारदा, रामी, कोसी, बागमती, सुबनसारी, कृष्णा, महानदी, महानदा आदि जैसी प्रमुख नदियों में विभिन्न आईआईटी और एनआईआईटी द्वारा रूपात्मक अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन तट के कटाव/जमाव, उन्नयन/गिरावट आदि के लिए संवेदनशील स्थानों को खोजने में सहायता करते हैं। जहां तक तटबंधों का संबंध है, इन्हें आम तौर पर बाढ़ सुरक्षा की किफायती, त्वरित और सबसे लोकप्रिय विधि माना जाता है और अतीत में बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया है। तटबंध (रिंग बांध और शहर संरक्षण कार्यों सहित) बाढ़ के प्रवाह को सीमित करते हैं, वहां क्षति को कम करके रेत को जमा होने से रोकता है। तथापि, तटबंधों का निर्माण, नदी के मार्ग में परिवर्तन, संवेदनशील स्थानों, जैकेटिंग के कारण प्रवाह में वृद्धि आदि की पहचान के लिए नदी के उचित वैज्ञानिक, रूपात्मक और मॉडलिंग अध्ययन के बाद किया जाता है।

जहां तक बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवहार्यता का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि तटबंधों को ऊंचा करने और मजबूत करने के लिए परियोजनाओं को कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण हेतु योग्य माना जाता है। इसके अलावा, एफएमबीएपी से बाहर निकलने के दायरे को सभी सीमा पार / सीमा नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है, जहां पहले का दायरा बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती नदियों पर बाढ़ प्रबंधन कार्यों और नेपाल के भाग में पड़ने वाली कोसी और गंडक नदियों पर तटबंधों तक सीमित था।

केंद्रीय जल आयोग ने मुख्य रूप से बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों, कटाव रोधी उपायों और नदी प्रशिक्षण कार्यों से निपटने के लिए "बाढ़ संरक्षण, कटाव रोधी और नदी प्रशिक्षण कार्यों" के लिए एक विस्तृत पुस्तिका प्रकाशित की है। इस हैंडबुक में एकीकृत तरीके से बाढ़ प्रबंधन की योजना, निर्माण और निगरानी के लिए एक तैयार संदर्भ प्रदान करने के लिए निर्माण सामग्री, डिजाइन तटबंध के लिए दिशानिर्देश, बैंक रिवेटमेंट, स्पर्स / ग्रोइन्स, आरसीसी पॉर्क्यपाइन्स, जल निकासी सुधार कार्य, निर्माण पद्धति, लागत अनुमान और इकाई दर विश्लेषण का विवरण शामिल है। हैंडबुक सीडब्ल्यूसी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.cwc.gov.in/sites/default/files/Handbook-05-Jun-12_0.pdf पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, देश में कटावनिरोधी बोल्डर और नदी प्रशिक्षण कार्यों के लिए एक संभव विकल्प के रूप में उपर्युक्त सामग्री के साथ बाढ़ प्रबंधक कार्यों की प्रगति के मद्देनज़र गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना ने "बाढ़ प्रबंध विनिर्माण के लिए जियो-टेक्सटाइल / जियो-बैग / जियो-ट्यूब के उपयोग" के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

20. समिति की गई कार्रवाई उत्तर से नोट करती है कि विभाग ने देश में बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी कार्यों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जहां तक तटबंधों का संबंध है, विभाग ने केवल यह कहा है कि जलमार्गों में परिवर्तन, संवेदनशील स्थानों, जैकेटिंग आदि के कारण प्रवाह में वृद्धि की पहचान करने के लिए नदी के उचित वैज्ञानिक, रूपात्मक और मॉडलिंग अध्ययन के बाद तटबंधों का निर्माण किया जाना है। हालांकि, राष्ट्रीय तटबंध नीति तैयार करने के पहलू पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया इसलिए, समिति एक बार फिर विभाग को नदी के वैज्ञानिक, रूपात्मक और मॉडलिंग अध्ययन करने और इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर, एक राष्ट्रीय तटबंध नीति तैयार करने का आग्रह करती है ।

अध्याय-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश सं. 1 (पैरा 2.1)

बजट विश्लेषण

समिति यह नोटकर प्रसन्न है कि वित्त वर्ष (एफ वाई) **2021-22** में **9022.57** करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) के आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष **2022-23** में **18967.88** करोड़ रुपये बजट अनुमान आवंटन में लगभग **110%** की भारी वृद्धि हुई है। तथापि, वित्त वर्ष **2021-22** में **18008.70** करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष **2022-23** में समग्र बजटीय आवंटन में लगभग **5%** की वृद्धि दर्शाई गई है। **18967.88** करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में राजस्व खंड के तहत **18548.05** करोड़ और पूंजी खंड के तहत **419.83** करोड़ रूपए शामिल हैं। वित्त वर्ष **2021-22** के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में वित्त वर्ष **2022-23** में बजट आवंटन में भारी वृद्धि इसलिए है क्योंकि वर्ष **2020-21** तक, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत परियोजनाओं के लिए केंद्र की हिस्सेदारी में नाबार्ड से दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से इजाफा हुआ था; हालांकि, चालू वर्ष से, नाबार्ड से ऋण लेने के बजाय बजटीय सहायता के माध्यम से इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। इसके अलावा, **1,400** करोड़ रुपये की राशि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए अलग से रखी गई है। इस संबंध में, समिति यह बताना चाहती कि समिति ने अपने पहले के अनुदानों की मांगों (डीएफजी) संबंधी प्रतिवेदनों में हमेशा से भारी उधारी और ऋणों की सर्विसिंग के कारण विभाग की बढ़ती प्रतिबद्ध देयता के मुद्दे को उठाया है जो बजटीय आवंटन का बड़ा हिस्सा रही है जिससे विभाग की उसकी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वित्तपोषण की क्षमता को काफी हद तक नुकसान हुआ है। समिति इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने के लिए विभाग के निरंतर प्रयासों की सराहना करती है, जिसके परिणामस्वरूप बजट आवंटन में ऐसी वृद्धि हुई है।

तथापि, साथ ही, समिति यह देखकर चिंतित है कि विभाग की वित्त वर्ष के अंत में बजटीय आवंटन को निरंतर वापस करने की प्रवृत्ति रही है। जबकि, वर्ष **2018-19** में, **8860/-** करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में **1467.14** करोड़ रूपए सरेंडर किए गए, इसी तरह वित्त वर्ष **2020-21** में, **8960.39** करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में **1695.30** करोड़ रु. सरेंडर किए गए थे। । यहां तक कि वित्त वर्ष **2021-22** में, **18008.70** करोड़ रूपए के संशोधित अनुमान आवंटन की तुलना में पहली तीन तिमाहियों में केवल **6327.04** करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। समिति आगे यह भी पाती है कि विभाग की कई महत्वपूर्ण

योजनाओं यथा बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी), राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन, अटल भूजल योजना, अनुसंधान और विकास और राष्ट्रीय जल मिशन के कार्यान्वयन, नमामि गंगे कार्यक्रम और भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के लिए वित्त वर्ष **2021-22** (**31.12.2021** तक) में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटन की तुलना में धन का उपयोग नगण्य रहा है। समिति यह भी पाती है कि विभाग ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत निधियों के कम उपयोग के विभिन्न कारण बताए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-**19** संबंधी प्रतिबंध और लॉकडाउन; बोलीदाताओं द्वारा खराब रिंसपांस के कारण ठेके देने में विलंब, जिसके कारण नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ; राज्य सरकारों द्वारा व्यय का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत न करना; और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए राज्यों को निधियां जारी करने और निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए संशोधित प्रक्रिया पर व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार एकल नोडल एजेंसी नामित करने में राज्यों द्वारा अनुपालन में विलंब शामिल हैं। समिति वित्त वर्ष के अधिकांश भाग के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत इस पैमाने पर बजटीय आवंटन के कम उपयोग पर अपनी चिंता प्रकट करती है और यह महसूस करती है कि यह एक बार की घटना नहीं है और एक सतत प्रवृत्ति बन गई है जैसा कि विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को आवंटित धनराशि की बार-बार वापसी द्वारा इंगित किया गया है। अतः समिति यह मानने के लिए बाध्य है कि विभाग अपने द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में उदासीन रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी राशि का समर्पण हुआ है। समिति ऐसे तरीके की सराहना नहीं करती है जिस तरह से विभाग साल दर साल अव्ययित शेष राशि को वापस कर रहा है। समिति इस बात से आशंकित है कि विभाग द्वारा बजटीय आवंटन को सरेंडर करने की पूर्व प्रवृत्ति को देखते हुए विभाग वित्त वर्ष **2021-22** में इस बढ़े हुए आवंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएगा। बढ़ती आबादी और तेजी से विकास कर रहे राष्ट्र की बढ़ती जल जरूरतों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संकेतों को ध्यान में रखते हुए उपयोग करने योग्य जल की उपलब्धता पर काफी दबाव पड़ता है। भारत में जल क्षेत्र के विकास और संरक्षण के लिए भारी मात्रा में कम उपयोग और बाद में निधियों की वापसी अच्छा संकेत नहीं है। अतः समिति विभाग को वित्त वर्ष **2022-23** से मासिक और त्रैमासिक व्यय योजनाओं का कड़ाई से पालन करने की सिफारिश करती है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की गति और निधियों के प्रवाह की नियमित अंतराल पर निगरानी की जानी चाहिए ताकि निधियों के इतने बड़े समर्पण से बचा जा सके।

सरकार का उत्तर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, विनम्रतापूर्वक समिति द्वारा विभाग की बड़ी उधारियों और ऋणों की सर्विसिंग की बढ़ती देयता के मामले के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय के साथ निरंतर किए गए प्रयासों के लिए की गई सराहना को स्वीकार करता है, जिसके परिणामस्वरूप बजटीय आवंटन में बढ़ोत्तरी हुई है।

इसके अलावा, इस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में 9022.57 करोड़ (निवल) रुपए का बीई आवंटित किया गया था, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2021 में संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर संशोधित कर 18,008.70 करोड़ रुपए कर दिया गया था। दिसंबर 2021 में, संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर आवंटन में लगभग 99.59 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि के बावजूद, निधियों के उपयोग के लिए केवल 3 महीने का समय दिया गया था, इसके लिए विभाग ने सभी प्रयास किए और 17,258 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जो वर्ष 2021-22 के आरई में किए गए कुल आवंटन का 96 प्रतिशत है।

विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आवंटन के कम उपयोग पर समिति द्वारा व्यक्त चिंता को विभाग द्वारा नोट कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 से मासिक और तिमाही व्यय योजनाओं के अनुपालन के लिए समिति की सिफारिश को लागू करने और बड़ी मात्रा में निधियों की वापसी से बचने के लिए योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है।

[ओ.एम. सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 2 (पैरा 2.2)

समिति विभाग के बजटीय आवंटन के संबंध में बजटीय अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच व्यापक असमानता को देखकर निराश है। जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में बजट अनुमान बढ़ाकर 8860/- करोड़ रु. किया गया था, इसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 7612.52 करोड़ रु. कर दिया गया था, इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 में, 8960.39 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को घटाकर संशोधित अनुमान स्तर पर 7262.09 करोड़ रु. कर दिया गया। इसके अलावा, समिति यह पाती है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 9022.57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में, वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय आवंटन 18008.70 करोड़ रुपये का हो गया जो यह दर्शाता है कि इसमें लगभग 99.59% की भारी वृद्धि हुई है। विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान स्तर पर बजटीय

आवंटन में वृद्धि के लिए योजनाओं के तहत नई परियोजनाओं को जोड़ने नामतः 'नदियों को जोड़ना', 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और विशेष/राष्ट्रीय परियोजनाएं (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) ' और 'कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम)' और कुछ मौजूदा योजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की जरूरत को इसका कारण बताया है। फिर भी, समिति वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर विभाग के लिए बढ़े हुए आवंटन को देखकर प्रसन्न है, तथापि, इस तरह की बढ़ोतरी बजट अनुमान स्तर पर अपने अनुमानों का आकलन करने में विभाग की दूरदर्शिता और योजना में कमी को भी इंगित करती है। समिति का विचार है कि संशोधित अनुमान स्तर पर इस तरह के असंगत स्तर का बजटीय आवंटन बजट अनुमान स्तर पर प्रारंभिक बजटीय आवंटनों की परिशुद्धता पर प्रश्नचिह्न उठाती है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग बजटीय अनुशासन बनाए रखता है, उचित बजट पूर्व योजना का संचालन करता है और पूरी तरह कार्य करता है, और अपनी बजटीय अनुमान प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करता है ताकि बजटीय अनुमान स्तर पर विवेकपूर्ण और यथार्थवादी बजटीय आवंटन अनुमानित/किया जा सके जिससे संशोधित अनुमान स्तर पर बजट अनुमान आवंटन में अनुपातहीन संशोधन से बचा जा सके। जहां तक वास्तविक उपयोग का संबंध है, समिति नोट करती है कि 31/12/21 की स्थिति के अनुसार, विभाग केवल 6327.04 करोड़ रुपए ही व्यय कर सका और 11681 करोड़ रुपए व्यय किया जाना बाकी है। विभाग ने बताया है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए निर्धारित 4300 करोड़ रुपए का इस वित्त वर्ष में उपयोग किया जाना है। इसके अलावा, नमामि गंगे, एआईबीपीसी, सीएडीडब्ल्यूएम, एसएमआई एंड आरआरआर के अंतर्गत कई प्रस्ताव जारी किए जाने के लिए तैयार हैं। समिति मंत्रालय से मासिक व्यय प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और तदुपरांत इसकी गहन निगरानी करने का आग्रह करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्त वर्ष के अंत तक शेष निधि का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

सरकार का उत्तर

यद्यपि विभाग का बजटीय आवंटन आरई स्तर में वास्तविक संख्या के स्तर पर धीरे-धीरे कम होता हुआ प्रतीत हो सकता है, गत वर्षों में आरई स्तर पर, कटौती दर में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, महत्वपूर्ण विकास हुए जिसके कारण संशोधित अनुमानों और वित्त वर्ष-2022-23 हेतु बजट आवंटन में भी काफी अधिक बजट आवंटन हुआ। सबसे पहले, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पहली नदी संयोजन परियोजना अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) को स्वीकृति दी गई थी, जिसके लिए संशोधित अनुमान चरण में, 4,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में एक एसपीवी के माध्यम से 39,317 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद से 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर आईएलआर-केबीएलपी के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान

की थी। दूसरे, पीएमकेएसवाई के एआईबीपी घटक की वित्त पोषण प्रणाली में बदलाव के कारण पीएमकेएसवाई प्रभावित हुई। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी/विशेष परियोजनाओं और सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत मार्च 2021 तक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के माध्यम से वित्त पोषण किया गया था। वर्ष 2021-22 में किसी बीई आवंटन को ईबीआर के रूप में नहीं रखा गया था क्योंकि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 में इन योजनाओं के लिए ईबीआर जुटाना अधिकृत नहीं किया था। वित्त पोषण प्रणाली में बदलाव के साथ, एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम योजना के लिए आरई चरण में 3,700 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था। विभाग के बजट में 8,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के ये दो प्रमुख कारण हैं, कुल बढ़ोत्तरी में से 8986.13 करोड़ रूपए आरई स्तर पर किए गए।

इसके अलावा, इस विभाग की सभी योजनाओं की समीक्षा की गई और अगले पांच वर्षों में कार्यान्वयन किए जाने के लिए नए सिरे से इन्हें अनुमोदित किया गया। इस प्रक्रिया में, विभाग को नई परियोजनाओं को शुरू करने में और अधिक लचीलापन लाने के लिए कुछ दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया गया था राज्य सरकारें इस प्रकार की मांगों पर जोर देती रहीं हैं।
इसके अतिरिक्त, इस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस विभाग को वित्त वर्ष-2021-22 में 9,022.57 करोड़ (निवल) रुपए का बीई आबंटित किया गया था जिसे वित्त मंत्रालय ने 28 दिसंबर, 2021 को संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर 18,008.70 करोड़ रुपए के साथ संशोधित किया गया था। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि संशोधित अनुमान स्तर पर लगभग 99.59 प्रतिशत आवंटन में भारी बढ़ोत्तरी और निधियों के उपयोग के लिए समय की अपर्याप्तता के बावजूद, इस विभाग ने सभी प्रयास किए और 17,258 करोड़ रुपए अर्थात वर्ष 2021-22 के आरई के कुल आवंटन का 96% उपयोग किया गया।

किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान, बजट अनुमान (बीई) वार्षिक लक्ष्यों से जुड़े नियोजित कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किए जाते हैं, जबकि आरई चरण में प्रस्तावित उपबंध मध्यावधि समीक्षा और नियोजित लक्ष्यों की वास्तविक/वर्तमान स्थिति पर आधारित होते हैं और लक्ष्यों को हासिल किया जाता है। कभी-कभी, मूल रूप से नियोजित लक्ष्यों को हासिल करने में आनें वाली अनिश्चितताओं के कारण कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। विभाग समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करता है कि नियोजित कार्यकलापों और जुड़ी व्यय योजनाओं की बारीकी से की जाने वाली निगरानी से बीई और आरई के आंकड़ों के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है और इसके कार्यकलापों और संबंधित व्यय की कठोरता से और नियमित निगरानी के माध्यम से सिफारिश को लागू किया जाएगा।

[ओ.एम. सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 4 (पैरा 2.4)

<u>नदियों को परस्पर में जोड़ना</u>

समिति नोट करती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **44,605** करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है, जिसमें केंद्रीय सहायता **39,317** करोड़ रुपये की है, और इसके कार्यान्वयन के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हिकल के गठन को भी अनुमोदित किया है। इसके अलावा, प्रारंभिक चरण में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण प्रबंधन योजना पर ध्यान देने के साथ इस कार्यक्रम के लिए संशोधित अनुमान **2021-22** में **4300** करोड़ और वर्ष **2022-23** में **1400** करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि दमनगंगा-पिंजाल, पर-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी नामक पांच नदी लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि एक बार लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बन जाने के बाद, केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा। तथापि, समिति पाती है कि नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य समस्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों के बीच आम सहमति की कमी है। समिति का विचार है कि नदियों को आपस में जोड़ने से न केवल अकाल और बार-बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के प्रभावों को काफी हद तक समाप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता की समस्याओं का एक बहुत ही आवश्यक व्यवहार्य समाधान भी मिलता है। फिर भी, समिति इस बात से भी अवगत है कि नदियों को आपस में जोड़ना एक जटिल मुद्दा है क्योंकि संबंधित राज्यों में 'जल' विषय से जुड़ी संवेदनशीलता और भावनाएं तथा नदियों की अंतर-राज्यीय प्रकृति राज्यों के लिए परस्पर सहमत निर्णय पर पहुचने में कठिनाई पैदा करती है। ऐसे परिदृश्य में, केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और समिति महसूस करती है कि यह उचित समय है कि केंद्र सरकार सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करे और सभी हितधारकों को विवादास्पद मुद्दों का समाधान करने में शामिल करे। इस संबंध में, समिति विभाग से उन क्षेत्रों की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुसार अपनी रणनीतियों को फिर से डिजाइन करने का आह्वान करती है जहां विभाग नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू करना चाहता है। विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से राज्यों को इस महत्वपूर्ण योजना को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर संसाधनों और अनुदानों के बड़े हिस्से के हस्तांतरण, कर राहत, कर अवकाश आदि जैसी विभिन्न रियायतें प्रदान करने के रूप में कुछ समाधान निकाल सकता है।

सरकार का उत्तर

भारत सरकार द्वारा नदियों के परस्पर संयोजन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, जैसा कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है, इसे राष्ट्र के लिए लाभकारी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जैसा कि समिति ने पाया है, नदियों के परस्पर संयोजन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौती आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों के बीच आम सहमति की कमी है। जल संसाधनों की अधिकता वाले राज्य आमतौर पर ऐसी जल की अधिकता पर सहमत नहीं होते हैं और सामान्य रूप से राज्य अधिक जल की मांग करते हैं। राज्य जल आवंटन/अंतर-राज्य समझौते के अनुसार जल के मौजूदा आवंटन में होने वाले बदलाव को लेकर आशंकित रहते हैं।

जैसा कि 15 जून 2016 को आयोजित नदियों के परस्पर संयोजन के लिए टास्क फोर्स की चौथी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 18.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा एक कानूनी समूह का गठन किया गया था, जिससे कि कानूनी पहलुओं और नदियों के परस्पर संयोजन के साथ अन्य संबंधित मामलों के कार्यान्वयन के आवश्यक उपबंधों को लागू किया जा सके। कानूनी समूह ने मार्च, 2017 के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कानूनी समूह की प्रमुख सिफारिशें निम्नवत हैं:

• 'जल और इसका प्रबंधन' विषय को समवर्ती सूची या संघ सूची के अंतर्गत लाने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से, समूह ने अनुभव किया कि इंटर-बेसिन जल अंतरण या एनपीपी की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में इस तरह के किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

• यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आईएलआर के संबंध में लिए जाने वाले निर्णय सभी संबंधित राज्यों के बीच सर्वसम्मिति से नहीं तो आम-सहमति बनाकर लिए जाते हैं।

• हालांकि, कानूनी उपायों के माध्यम से उपयोग की वैकल्पिक निर्णय लेने की प्रक्रिया उपलब्ध हो तो बातचीत के जरिए समझौते पर सहमति में सुविधा होगी।

भारत सरकार द्वारा देश में आईएलआर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपनाई गई व्यापक कार्यनीति निम्नानुसार है:

1. भारत सरकार, राज्यों की नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) कार्यक्रम के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए परामर्शी तरीके से प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। राज्यों और अन्य विशेषज्ञों/हितधारकों के साथ परामर्श नियमित रूप से विभिन्न प्लेटफार्मों अर्थात माननीय जल शक्ति मंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी की एजीएम, माननीय मंत्री की अध्यक्षता में आईएलआर की विशेष समिति (स्पेशल कमेटी फॉर आईएलआर), सचिव, जल संसाधन, नदी

विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में एनडब्ल्यूडीए की गवर्निंग बॉडी, सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स-आईएलआर आदि पर परामर्श किया जा रहा है। माननीय जल शक्ति मंत्री, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) और महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए भी पक्षकार राज्यों के साथ मामलों को सुलझाने और आम सहमति बनाने के लिए काम काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री की गरिमामय उपस्थिति में 22 मार्च, 2021 को, केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए लंबे समय तक चले प्रयासों और विचार-विमर्श के उपरांत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लिंक परियोजना के लिए अधिकांश संवैधानिक स्वीकृतियों को ले लिया गया है। भारत सरकार ने 90% (केंद्र): 10% (राज्य) फंडिंग पैटर्न के साथ केबीएलपीए के कार्यान्वयन को 4,4605 करोड़ रुपए (वर्ष 2020-21 मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत से दिनांक 08.12.2021 को 39,317 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के माध्यम से स्पेशल परपज वेहकिल अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) को मंजूरी दी है। संचालन समिति और केबीएलपीए के गठन की राजपत्र अधिसूचना को 11.02.2022 को जारी किया गया है। परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के आरई में 4,300 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजना पर 4,639.46 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। परियोजना को 8 वर्षों में पूरा किए जाने की योजना है।

2. 90 (केंद्र): 10 (राज्य) फंडिंग पैटर्न के आधार पर वित्त सहायता से केबीएलपी के अनुमोदन से न केवल समयबद्ध तरीके से ऐसी पूंजी सघन परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद मिलेगी बल्कि यह अन्य राज्यों को भी आईएलआर की अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

[का.ज्ञा. सं. जी – 30013/2/2022-बजट अनुभाग – एमओडब्ल्यूआर – भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 5 (पैरा 2.5)

<u>नमामि गंगे कार्यक्रम</u>

समिति नोट करती है कि भारत सरकार (जीओआई) ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को प्रभावी तरीके से कम करने, उनके संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत की है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31.12.2021 की तारीख में 30841.53 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से कुल 363 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें

से 177 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वे चल रही हैं, और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के अलग-अलग चरणों में हैं। साथ ही, इन 363 परियोजनाओं में से 161 परियोजनाएं मलजल संबंधी आधारभूत संरचना से संबंधित हैं, और उनमें से अब तक केवल 74 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। गंगा की सफाई और उसके संरक्षण के निमित्त इस महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम की सराहना करते हुए समिति यह नोटकर निराश है कि इन परियोजनाओं की, विशेषकर मलजल संबंधी आधारभूत संरचना से जुड़ी उन परियोजनाओं की जो समिति की राय में नमामि गंगे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु और मुख्य आधार हैं, की प्रगति धीमी है। इसके मद्देनजर, समिति सिफारिश करती है कि विभाग अपने निगरानी तंत्र को सुकर बनाने और उसमें सुधार लाने और परियाजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों/समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करने के लिए प्रयत्न करे जिससे कि सभी लम्बित परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा में पूरी हों ताकि लागत और समय में वृद्धि की संभावना को दूर किया जा सके।

सरकार का उत्तर

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक, कुल 366 परियोजनाओं को 30,671 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें से 197 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और परिचालित की जा चुकी हैं तथा शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, इन 366 परियोजनाओं में से, 160 सीवरेज अवसंरचना से संबंधित हैं, जिनमें से 81 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

2. परियोजनाओं की प्रगति को ट्रेक करने के लिए एक त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र मौजूद है:

क) कार्यकारी एजेंसी – डीपीआर राज्य स्तर पर कार्यकारी एजेंसी द्वारा तैयार की जाती है, जो कि परियोजना के कार्य निष्पादन के साथ-साथ प्रतिदिन की निगरानी के लिए जिम्मेदार होती है। डिजाइनों की वेटिंग आईआईटी और अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों सहित प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा की जाती है।

ख) परियोजना इंजीनियर – एचएएम आधारित पीपीपी परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र परियोजना इंजीनियरों की नियुक्ति की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना समय पर पूरी की जाएगी।

ग) एनएमसीजी – एनएमसीजी परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए और गति में तेजी बनाए रखने के लिए परियोजनाओं की मॉनीटरिंग कर रहा है।

3. बाधाओं को दूर करके सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए और परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, एनएमसीजी द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं/मॉनीटरिंग तंत्र बनाया जा रहा है:

1. एसपीएमजी/कार्यकारी एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय/बैठकें/फॉलो-अप।
2. रेलवे और एनएचएआई के साथ उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित करके सड़क/रेलवे क्रॉसिंग अनुमति में होने वाली देरी का समाधान करना।
3. राज्य एजेंसियों के साथ डीजी-एनएमसीजी की अध्यक्षता में नियमित समीक्षा बैठकें होती हैं। बाधाओं को दूर करने और विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की गति में तेजी लाने के लिए माननीय मंत्री, ज.सं., न.विभाग .सं .और गं .वि., जल शक्ति मंत्रालय और सचिव, ज.सं., न.विभाग द्वारा परियोजनाओं .सं .और गं .वि.की समीक्षा एनएमसीजी और राज्य सरकारों के विभिन्न अधिकारियों के साथ भी की जाती है।

[का.ज्ञा. सं. जी – 30013/2/2022-बजट अनुभाग – एमओडब्ल्यूआर – भाग (1)/30]

सिफारिश सं.6 (पैरा 2.6)

समिति नोट करती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम का नाम बदलकर इसे नमामि गंगे मिशन दो कर दिया गया है जिसमें नेशनल गंगा प्लान, नेशनल रिवर कन्जर्वेशन प्लान और घाट वर्क्स फॉर ब्यूटीफिकेशन ऑफ रिवर फ्रंट को शामिल किया गया है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान स्तर पर 2800 करोड़ रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। नमामि गंगे मिशन दो की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के अलावा जो शामिल हैं वे हैः- सहायक नदियों के मामले में त्वरित दस्तंदाजी, नमामि गंगे कार्यक्रम के साथ केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं का अभिसरण और नई दस्तंदाजी की शुरूआत, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) विकास प्रयासों को बढ़ाना और `वन सिटी वन ऑपरेटर` मॉडल, सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) और बिना सीवरवाले छोटे व मझोले शहरों में विकेंद्रीकृत ट्रीटमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि के अतिरिक्त रिक्लेम, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण व रिस्पॉन्सिबल मैन्यूफैक्चरिंग पर फोकस करने वाला `सर्कुलर इकोनॉमि` मॉडल विकसित करने पर पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना। समिति पाती है कि यद्यपि इस योजना का नामकरण कर पुनः नमामि गंगे मिशन दो कर दिया गया है, फिर भी इसके पुराने नाम पर ही बजट अनुमान आवंटन की तुलना में इस योजना के तहत धन का निरंतर कम उपयोग होता रहा है। वर्ष 2017-18 में 2550/- करोड़ रूपए के बजटीय आवंटन के मुकाबले वास्तविक व्यय केवल 1423.21 करोड़ रूपए का हुआ। इसी तरह, वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के

दौरान क्रमशः 3070 और 1970 करोड़ रूपए के बजट अनुमान आवंटन के मुकाबले केवल 2307.50 और 1553.40 करोड़ रूपए का ही व्यय हुआ। समिति यह भी पाती है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के संदर्भ में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच व्यापक असमानता है। समिति महसूस करती है कि संशोधित अनुमान के स्तर पर बजटीय आवंटन में निरंतर असमानता इस बात का द्योतक है कि विभाग की वित्तीय योजना में कमी है। समिति पुरजोर तरीके से यह महसूस करती है कि नमामि गंगे मिशन दो को सफल बनाने के लिए उन अंतर्निहित कारकों को दूर किए जाने की जरूरत है जिनकी वजह से नमामि गंगे के पुराने नाम से परियोजनाओं के कार्यान्वन में अड़चनें आती हैं। इसके अलावा, समिति यह भी चाहती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमामि गंगे कार्यक्रमों समेत विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित धन का अधिकतम सीमा तक उपयोग हो और निर्धारित परिव्यय की बर्बादी न हो, एक सख्त निगरानी तंत्र बनाने का प्रयास करे। समिति, विभाग से बजटीय अनुशासन बनाए रखने और समुचित बजट पूर्व योजना बनाने और कार्य करने की भी सिफारिश करती है ताकि संशोधित अनुमान स्तर पर बजट आवंटन में बहुत बड़े बदलाव से बचने के लिए बजट अनुमान के चरण में विवेकपूर्ण बजटीय आवंटन का अनुमान लगाया/किया जा सके।

[का.ज्ञा. सं. जी – 30013/2/2022-बजट अनुभाग – एमओडब्ल्यूआर – भाग (1)/30]

सरकार का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2021-22 में, विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त वास्तविक प्रगति के आधार पर संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ा हुआ आवंटन प्रेषित किया गया और प्रदान किया गया। 1,900 करोड़ रूपए के बढे हुए आवंटन का लगभग पूरी तरह से उपयोग किया गया था। नमामि गंगे के तहत, फंड का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की गहन मॉनीटरिंग की जा रही है।

[का.ज्ञा. सं. जी – 30013/2/2022-बजट अनुभाग – एमओडब्ल्यूआर – भाग (1)/30]

सिफारिश सं.7 (पैरा 2.7)

<u>अटल भूजल योजना</u>

सरकार द्वारा चिह्नित राज्यों यथा गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चयनित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी और चालू योजनाओं के अभिसरण में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2020 में अटल भूजल योजना शुरू की गई थी। समिति यह नोट करती है वर्ष 2020-21 में इस योजना के लिए संशोधित अनुमान चरण में

आवंटित 330 करोड़ रुपए की तुलना में 17.02.2022 तक केवल 147.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में, इस योजना के लिए आवंटन को दोगुना से अधिक बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आवंटन में की गई वृद्धि के कारणों को बताते हुए, समिति ने बताया कि दो वर्षों के पश्चात आज प्रायः सभी राज्यों में उनकी अपनी संस्थागत संरचना है और वे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं। जहां तक इस योजना को अन्य राज्यों में विस्तारित करने का संबंध है, यह बताया गया है कि योजना की मध्यवादी समीक्षा की जाएगी और उस आधार पर योजना के विस्तार के बारे में विचार किया जाएगा। समिति का मत है कि चूंकि अब सभी राज्यों ने अपनी संस्थागत आधारभूत संरचना बना रखी है, इसलिए विभाग को चाहिए कि वे इस योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान इसके दायर का विस्तार पैन इंडिया स्तर तक करते हुए इसे व्यापक बनाने की हर संभावना की तलाश करें जिससे कि इस देश के सभी जल संकट क्षेत्र इस महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित हो सके। समिति को अटल भूजल योजना की मध्यावधि समीक्षा के परिणाम से भी अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

दिनांक 31.12.2021 तक फंड का कम उपयोग मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि इस फंड का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को प्रोत्साहन के लिए था जो कि थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन एजेंसी द्वारा वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाना था, जो फरवरी, 2022 में पूरा हुआ और बाद में मार्च, 2022 तक 99% से अधिक फंड का उपयोग किया गया था। अटल जल के लिए बीई-2021-22 आवंटन 330 करोड़ रुपये था, जो आरई-2021-22 चरण में समान रहा, उपयोग की गई कुल निधि 327.48 करोड़ रूपए थी। मिड टर्म इस कैलेंडर वर्ष में पूरी होने वाली है और मूल्यांकन/प्रतिक्रिया के आधार पर इस योजना के विस्तार पर निर्णय लिया जाएगा। समिति को भी मिड-टर्म मध्यावधि समीक्षा बारे में पूरा होने के बाद इस के परिणाम के अवगत कराया जाएगा।

[का.ज्ञा. सं. जी – 30013/2/2022-बजट अनुभाग – एमओडब्ल्यूआर – भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 8 (पैरा 2.8)

<u>अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण</u>

समिति नोट करती है कि इस समय 5 अंर्तराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण; यथा कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरण, वंशधारा जलविवाद न्यायाधिकरण, महादयी जलविवाद न्यायाधिकरण, महानदी जलविवाद न्यायाधिकरण तथा रावी और व्यास जलअधिकरण देश में कार्यरत हैं। इन न्यायाधिकरणों पर 31.12.2021 तक कुल 106.31 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। अंतर्राज्यीय नदी जलविवाद के अधिनिर्णयन को आगे और सुचारू बनाने के लिए 25.07.2019 को लोक सभा में अंतर्राज्यीय नदी जलविवाद विधेयक

(संशोधन), 2019 पुरःस्थापित किया गया और उस पर विचार किया गया था तथा लोक सभा द्वारा 31.07.2019 को इसे पारित किया गया। स्थायी स्थापना और अवसंरचना के साथ इस विधेयक में एक ही न्यायाधिकरण के गठन की परिकल्पना की गई है ताकि प्रत्येक नदी बेसिन में जलविवाद के लिए अलग-अलग न्यायाधिकरण के गठन की आवश्यकता से बचा जा सके जोकि एक निरंतर अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। तथापि, मंत्रालय ने अब बताया है कि प्रस्तावित विधेयक के खंड-3 (आईएसआरडब्ल्यूडी एक्ट, 1956 की धारा-4 से संबंधित) और संशोधन की आवश्यकता है और इस मुद्दे पर भारत के महाधिवक्ता के साथ चर्चा की गई और तदनन्तर जलशक्ति मंत्रालय की ओर से यह निर्णय लिया गया कि विधेयक को राज्य सभा में विचारार्थ पेश किए जाने से पहले इसके अंग्रेजी पाठ में विधेयक के खंड-3 (आईएसआरडब्ल्यूडी एक्ट, 1956 की धारा 4 से संबंधित शब्द में) पंक्ति 17 के अंत में `ट्रिब्यूनल` शब्द के पश्चात `एंड द ट्रिब्यूनल शैल प्रोसीड टु डील विद सच वाटर डिसप्यूटस फ्रॉम द स्टेज ऐट व्हिच इट वाज सो ट्रांसफर्ड` जोड़कर इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर मंत्रालय ने इस विधेयक के पारित होने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने से इनकार किया है। समिति का सुविचारित मत है कि भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच जलविवाद के मसले का हल में प्राधिकारियों/अधिकरणों का कोई उपयोग नहीं होगा। समिति का मानना है कि वर्ष 2019 में लोक सभा से पारित विधेयक में यथापरिकल्पित स्थायी स्थापना एवं उसकी खुद की स्थायी बुनियादी सुविधाओं से लैस एक नए न्यायाधिकरण से न केवल ढेर सारे न्यायाधिकरणों के गठन की लागत व उन पर होने वाले अन्य तरह के खर्चों में कटौती होगी, बल्कि इससे जलविवादों के अधिनिर्णयन को समयबद्ध तरीके से शीघ्र न्याय दिलाने में यह बड़ा मददगार साबित होगा। समिति विभाग से यह आग्रह करती है कि वे 'अंतर्राज्यीय नदी जलविवाद (संशोधन) विधेयक, 2019' को राज्य सभा से शीघ्र पारित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 में मौजूदा ट्रिब्यूनलों की जगह सभी अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों का निर्णय लेने के लिए एक एकल, स्थायी न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि प्रत्येक जल विवाद के लिए एक अलग न्यायाधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके जो कि सर्वदा एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह विधेयक दिनांक 25.07.2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में दिनांक 31.07.2019 को सदन द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ लिया जाएगा।

लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद, यह देखा गया है कि प्रस्तावित विधेयक के खंड-3 (आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा-4 से संबंधित) में और संशोधन की आवश्यकता है।

प्रश्नाधीन मामला इस आशय से जुड़ा है कि यदि अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात अधिकरण पहले से ही मौजूद है तो उपर्युक्त सिंगल अधिकरण की संबंधित बैंच ऐसे विवाद के समाधान में उसके स्थानांतरण के चरण से ही उस पर आगे बढ़ेगा। हालांकि, इस पहलू का उल्लेख केवल विधेयक के खंड-12 में रवि ब्यास वाटर्स ट्रिब्यूनल के संदर्भ में किया गया है, न कि खंड 3 में सामान्य सिद्धांत के रूप में।

इस मुद्दे पर भारत के सॉलिसिटर जनरल के साथ विचार-विमर्श और परिणामस्वरूप - इस विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस विधेयक को राज्य सभा में विचार के लिए रखे जाने से पहले, इस विधेयक का खंड-3 (आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा -4 से संबंधित) को 'अभिकरण' शब्द के बाद पंक्ति 17 के अंत में अंतिम पंक्ति में निम्नलिखित जोड़कर संशोधित करने की आवश्यकता है- **"और अभिकरण ऐसे जल विवादों पर उस स्तर से आगे बढ़ेगा जिस पर यह स्थानांतरित किया गया था''।**

जैसा कि एसजीओआई के साथ विचार-विमर्श किया गया है, आईएसआरडब्ल्यूडी (संशोधन) विधेयक, 2019 में किए जाने वाले आधिकारिक संशोधन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की आवश्यकता है:

i. प्रावधान को शामिल करने के लिए प्रस्तावित आईएसआरडब्ल्यूडी (संशोधन) विधेयक, 2019 (लोकसभा द्वारा पारित) में संशोधन करने के लिए कैबिनेट के अनुमोदन के लिए कैबिनेट नोट को प्रस्तुत करना।
ii. मंत्रिमंडल द्वारा संशोधनों को अनुमोदित करने के बाद, विधेयक को संसद के आगामी सत्र, 2021 में राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा द्वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद, यह पारित होने के लिए वापस लोकसभा में जाएगा।

तदनुसार, मसौदा कैबिनेट नोट तैयार किया गया था और माननीय जल शक्ति मंत्री के अनुमोदन के बाद, अनुमोदित मसौदा कैबिनेट नोट को इस प्रभाग के दिनांक 11.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से विधि कार्य और विधायी विभाग को विचार और पुनरीक्षण के लिए भेजा गया था। विधायी विभाग ने दिनांक 05.10.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह अनुरोध किया कि 'प्रशासनिक मंत्रालय इस बात की पुष्टि कर सकता है कि विधायी विभाग द्वारा तैयार किया गया मसौदा आधिकारिक संशोधन, इस मंत्रालय के उद्देश्यों और आवश्यकताओं को पूरा करता है और कैबिनेट के लिए मसौदा नोट में निहित इस मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुरूप है। प्रत्युत्तर में, इस विभाग ने दिनांक 09.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से विधायी विभाग को अवगत कराया कि विधायी विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप

आधिकारिक संशोधन इस मंत्रालय के उद्देश्यों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और कैबिनेट के लिए मसौदा नोट में निहित इस मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुरूप हैं।

इसके अलावा, विधायी विभाग ने अपने नोट दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है और यह भी सूचित किया है कि विधि कार्य विभाग ने भी इससे सहमति व्यक्त की है। तदनुसार मसौदा कैबिनेट नोट को संशोधित किया गया है और माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है।

संशोधित मसौदा कैबिनेट नोट दिनांक 28.02.2022 को संबंधित विभागों को टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। मसौदा कैबिनेट नोट में संबंधित विभागों की टिप्पणियां/ऑबजर्वेशन सम्मिलित की गई हैं और माननीय जल शक्ति मंत्री के अनुमोदन के बाद, मसौदा कैबिनेट नोट को विचार करने के लिए दिनांक 07.04.2022 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है।

[का.ज्ञा. सं. जी – 30013/2/2022-बजट अनुभाग – एमओडब्ल्यूआर – भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 9 (पैरा 2.9)

<u>केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)</u>

समिति नोट करती है कि एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को भारत के भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक व सतत विकास एवं प्रबंधन और साथ ही उनके दोहन, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से बचाव और आर्थिक व पारिस्थितिक दक्षता एवं इक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर उनके वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकियों के विकास एवं प्रसार, निगरानी एवं राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तथापि, समिति, विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से चिंता के साथ यह नोट करती है कि सीजीडब्ल्यूबी जनशक्ति के अभाव की गंभीर समस्या से ग्रसित हो चुका है जो इसके कार्यकरण को बाधित कर रहे हैं। वर्तमान में 4017 की कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या में से बोर्ड में लगभग 32 फीसदी यानी लगभग 1300 पद रिक्त हैं। इसके अलावा, वैज्ञानिक श्रेणी में 882 स्वीकृत पदों में से केवल 545 पद भरे हुए हैं और लगभग 38 फीसदी (337) पद रिक्त हैं। इसी तरह, इंजीनियरिंग श्रेणी में 1868 स्वीकृत पदों में से 1338 पद भरे हुए हैं और 530 पद (39.61%) रिक्त हैं। समिति यह जानकर निराश है कि सीजीडब्ल्यूबी में सामान्य रूप से और विशेषकर वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग संवर्ग में मानव संसाधनों का बड़ा अभाव है, जो कि विभाग के ऐसे महत्वपूर्ण अंग के प्रति विभाग के उदासीन रवैये को इंगित करता है। समिति का मत है कि जनशक्ति की इतनी कमी सीजीडब्ल्यूबी के सुगम कार्यकरण के लिए अच्छी बात नहीं है। अतः समिति

इस बात की सिफारिश करती है कि विभाग सभी रिक्तियों को, विशेषकर सीजीडब्ल्यूबी की रीढ़ माने जाने वाली वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग अनुभागों में पदों को, सक्रियता व तात्कालिक आधार पर भरने के लिए तत्काल उपाय करे। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अपनी जनशक्ति को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं:

1. सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरने की मांग शुरू की जा चुकी है और इसे यूपीएससी/एसएससी को प्रस्तुत कर दिया गया है।
2. प्रोन्नति संबंधी रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की गई है/की जा रही है।
3. सीजीडब्ल्यूबी की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, युवा पेशेवरों और सलाहकारों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है।

सीजीडब्ल्यूबी में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विषयों में रिक्त पदों को भर्ती करने वाली एजेंसियों अर्थात् यूपीएससी और एसएससी से प्राप्त हो रहे नामांकन के अनुसार भरा जाएगा।

सीजीडब्ल्यूबी में वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विषयों में रिक्त पदों का विवरण और रिक्तियों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदम **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

[का.ज्ञा.सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय – एक के पैरा सं. 11 देखें)

सिफारिश संख्या 10 (पैरा 2.10)

विभाग के उत्तर से समिति यह नोट करती है कि सीजीडब्ल्यूबी के पास वर्ष 2012 में लगभग 1500 मॉनिटरिंग वेल का नेटवर्क था। घरेलू और साथ ही सहभागी मोड के जरिए मॉनिटरिंग वेल की संख्या में 35000 की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार, सीजीडब्ल्यूबी के पास केवल 22800 मॉनिटरिंग वेल ही हैं, क्योंकि वर्ष 2012-17 में इस योजना के सहभागी भूजल प्रबंधन संघटक के तहत कार्यकलाप शुरू नहीं किए जा सके। समिति का मानना है कि वेल में जल स्तर की माप इस संसाधन की स्थिति

का पता लगाने वाला सबसे आधारभूत सूचक है और यह भूजल की मात्रा व गुणवत्ता के सार्थक मूल्यांकन और सतही जल के साथ इसकी अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, समिति, विभाग से यह सिफारिश करती है कि भूजल की निगरानी करने के लिए डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डरों और टेलीमेट्री के साथ ऑबजर्वेशन वेल की संख्या बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाएं। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि अब तक केवल 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ही भूजल के विनियमन व विकास के लिए मॉडल बिल का अधिनियमन किया है, समिति इस बात पर अपनी निराशा व्यक्त करती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी पणधारकों को पर्याप्त मात्रा और उपयुक्त गुणवत्ता वाले भूजल की उपलब्धता के माध्यम से भूजल सुरक्षा को बहाल करने और उसे सुनिश्चित करने में इस मॉडल बिल के फायदों का कोई उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए, समिति, विभाग से आग्रह करती है कि सभी शेष राज्यों को इस महत्वपूर्ण विधेयक को जल्द-से-जल्द अधिनियमित करने के लिए मनाने हेतु समेकित प्रयास करे। संसद में प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को इस संबंध में किए गए प्रयासों/उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

सीजीडब्ल्यूबी, ज.सं., न.वि. और गं.सं. विभाग के तत्वावधान में एक संबद्ध निकाय, मॉनीटरिंग वेल के एक नेटवर्क के माध्यम से मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त, नवंबर और जनवरी के महीनों के दौरान एक वर्ष में चार बार क्षेत्रीय स्तर पर पूरे देश में भूजल स्तर की आवधिक रूप से निगरानी करता है। इस समय, सीजीडब्ल्यूबी के पास 22,835 मॉनीटरिंग वेल का नेटवर्क है (मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार) **(अनुबंध-III)**। इसके अलावा, राज्य सरकारों के पास लगभग 43,500 स्टेशनों का अपना भूजल स्तर मॉनीटरिंग नेटवर्क भी है, जिससे देश में कुल भूजल मॉनीटरिंग स्टेशनों की संख्या लगभग 66,000 हो जाती है।

ऑबजर्वेशन वेल की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से**,** 9,000 पीजोमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन सभी 9,000 पीजोमीटर को टेलीमेट्री सिस्टम के साथ डिजिटल वॉटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) के साथ फिट करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त के अलावा**,** सीजीडब्ल्यूबी ने एनएचपी के साथ मिलकर सीजीडब्ल्यूबी के मौजूदा पीजोमीटर में टेलीमेट्री सिस्टम के साथ 5,260 डीडब्ल्यूएलआर की संस्थापना भी शुरू कर दी है।

मॉडल विधेयक को 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (14 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों) में अधिनियमित और कार्यान्वित किया जा चुका है। मॉडल विधेयक को अधिनियमित करने के लिए 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (10 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों) ने पहल की है और शेष राज्यों ने सूचित किया है कि कानून को अधिनियमित करना आवश्यक नहीं है।

जल शक्ति मंत्रालय ने औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कषर्ण के विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले नए दिशा निर्देशकों को दिनांक 24.09.2020 को जारी किया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि कार्यकलापों के लिए भूजल निष्कषर्ण विनियमन से मुक्त रखा गया है। ये दिशानिर्देश पूरे भारत में लागू होते हैं। इस मामले को सीजीडब्ल्यूए दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीजीडब्ल्यूए दिशा-निर्देश/अधिनियम अधिनियमन को स्वीकार करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

[का.ज्ञा.सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 12 (पैरा 2.12)

<u>राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम</u>

समिति पाती है कि राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम, भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमएंडआर) योजना का प्रमुख घटक है। एनएक्यूयूआईएम अध्ययनों के उद्देश्यों में जलभृतों का परिसीमन और विवरण, भूजल प्रबंधन योजना तैयार करना, जलभृत कायाकल्प संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को लागू करना, जमीनी स्तर पर जलभृत प्रबंधन योजनाओं के सिद्धांतों को प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करना सम्मिलित हैं। समिति नोट करती है कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार एनएक्यूयूआईएम अध्ययन के अधीन लगभग 25 लाख वर्ग किमी. के कुल चिह्नित क्षेत्र में से 18.7 लाख वर्ग किमी के क्षेत्र (31 जनवरी 2022 तक 18.97 कवर किया गया) को कवर कर लिया गया है। तथापि, समिति इस तथ्य से चिंतित है कि केवल 11.25 लाख वर्ग कि.मी. से संबंधित जलभृत मानचित्रण प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया है और इसे सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट पर डाला गया है। समिति महसूस करती है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना के तहत मानचित्रण और जलभृत प्रतिवेदन तैयार करने में व्यास इतना बड़ा अंतर देश के जलभृत मानचित्रण की इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना की पूरी कवायद को कमजोर कर देगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए एनएक्यूयूआईएम आवश्यक है और यह भी तथ्य है कि एनएक्यूयूआईएम के निष्कर्ष को उपयुक्त हस्तक्षेप के लिए

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है, समिति, विभाग से मानचित्रण होते ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर जलभृत प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती है। संसद में इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर समिति को इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

अब तक 14 लाख वर्ग किमी के संबंध में प्रतिवेदन जारी कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च 2022 तक कवर किए गए पूरे क्षेत्र, जो सितंबर, 2022 तक लगभग 21 लाख वर्ग किमी है, के संबंध में प्रतिवेदन जारी करने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं । इस संबंध में उठाए गए कदमों में उन क्षेत्रीय कार्यालयों में जहां भी ऐसी आवश्यकताएं हैं, वहां अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात करना शामिल है। प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा रही है।

[का ज्ञा सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 13 (पैरा 2.13)

<u>सिंचाई गणना</u>

समिति पाती है कि योजना 'लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण' (आरएमआईएस) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता के साथ डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) में वर्ष 1987-88 में शुरू की गई थी। वर्ष 2017-18 में, योजना का नाम बदलकर "सिंचाई गणना" कर दिया गया और प्रभावी आयोजना और नीति बनाने के लिए लघु सिंचाई (एमआई) क्षेत्र में एक व्यापक और विश्वसनीय डेटाबेस बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित अंब्रेला योजना, "पीएमकेएसवाई और अन्य योजनाओं" के तहत लाया गया। देश में लघु सिंचाई कार्यों संबंधी विस्तृत डाटा बेस योजना के तहत अब तक की गई पांच गणना के माध्यम से क्रमशः संदर्भ वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07 और 2013-14 के आधार पर तैयार किया गया है। समिति यह देखकर प्रसन्न है कि अब 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाले जल निकायों की गणना को सम्मिलित करने के लिए सिंचाई गणना का दायरा बढ़ा दिया गया है। जल निकायों की पहली गणना छठी लघु सिंचाई गणना के अभिसरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है। जल निकायों की गणना में अन्य बातों के साथ-साथ उनके आकार, स्थिति, अतिक्रमणों की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण में जल की स्थिति आदि सहित इस विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र करना

सम्मिलित है। सिंचाई गणना में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता वाले जल निकायों की सिंचाई गणना को सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए, समिति, विभाग से सिंचाई गणना के दायरे को मध्यम और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं तक विस्तारित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने का आग्रह करती है, क्योंकि इससे अधिकांश सिंचाई योजनाओं और उनके आंकड़ों को एक मंच पर लाने में मदद मिलेगी, जिससे सिंचाई क्षेत्र के लिए कहीं बेहतर योजनाएँ बनाने में बहुत मदद मिलेगी, और सिंचाई संबंधी मुद्दों का और अधिक व्यापक रूप से समाधान करेगा।

सरकार का उत्तर

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, का लघु सिंचाई (सांख्यिकी) स्कन्ध 1986-87 से पंचवर्षीय रूप से लघु सिंचाई संरचनाओं की गणना करता रहा है। अब तक, पांच गणना क्रमशः वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07 और 2013-14 में आयोजित की गई है। छठी लघु सिंचाई गणना (संदर्भ वर्ष 2017-18) के साथ अभिसरण में जल निकायों की पहली गणना शुरू करके 'सिंचाई गणना' योजना का दायरा पहले ही बढ़ा दिया गया था।

हर बार गणना कार्य शुरू करने से पहले, प्रश्नावली, दिशानिर्देश आदि जैसे सांख्यिकीय उपकरणों को अंतिम रूप देने के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाता है जिसमें नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पंचायती मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालयों / पणधारकों के प्रतिनिधि, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के अध्यक्ष, चयनित राज्य सरकारों के प्रधान सचिव आदि शामिल होते हैं। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए सिंचाई गणना योजना को जारी रखने के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने सिफारिश की है कि प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाओं के कवरेज के साथ लघु सिंचाई गणना के दायरे के कार्यक्षेत्र के विस्तार का पता लगाया जाए जिसपर संचालन समिति में विचार-विमर्श किया जा सके, जिसे संदर्भ वर्ष 2022-23 के साथ 7वीं लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की दूसरी गणना के लिए नियत समय में गठित किया जाएगा।

[का ज्ञा सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 14 (पैरा 2.14)

<u>सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज</u>

समिति नोट करती है कि वर्ष 2023-24 तक कई चरणों में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 प्रमुख / मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु 18.07.2018 को आयोजित आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के दौरान एक विशेष पैकेज को अनुमोदित किया गया था। दिनांक 1.4.2018 की स्थिति के अनुसार, उक्त परियोजनाओं की कुल शेष लागत 13651.61 करोड़ रुपए अनुमानित है। विशेष पैकेज के तहत परियोजनाओं की अधिकतम सिंचाई क्षमता 4.06 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 03/2018 तक 0.33 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित गई है। वर्ष 2018-21 के दौरान, 0.97 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान 400 करोड़ रुपए के बजट अनुमान आवंटन की तुलना में संशोधित अनुमान चरण में 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट अनुमान को 800 करोड़ रुपए तक सीमित दिया गया है। समिति यह उम्मीद व्यक्त करती है कि पिछले रुझान को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटित पूरी राशि का उपयोग कर लिया जाएगा। विभाग ने बताया है कि भूमि अधिग्रहण, अदालती मामलों, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास और रेलवे और राजमार्ग क्रॉसिंग जैसी चुनौतियां परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डाल रही हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग द्वारा कई कदम उठाये जा रहे हैं। समिति, न केवल विदर्भ और मराठवाड़ा बल्कि शेष महाराष्ट्र के अन्य पुराने सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि संकट को दूर करने, और इस कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए एक जीवंत तंत्र बना कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु किये जा रहे समेकित प्रयास करने के लिए के लिए एवं आवश्यक राहत प्रदान करने हेतु सरकार के प्रयासों का स्वागत करती है। विभाग ने समिति को यह बताया है कि वर्तमान में इस विशेष पैकेज को समान चुनौतियों का सामना कर रहे देश के अन्य भागों/क्षेत्रों में विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति चाहती है कि विभाग अपने विचार की समीक्षा करे और देश के शेष हिस्सों में लंबे समय से सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में व्याप्त कृषि संकट को दूर करने के लिए इस तरह के पैकेज को विस्तारित करने की व्यवहार्यता की सक्रिय रूप से जांच करे।

सरकार का उत्तर

"महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज के तहत वर्ष 2021-22 हेतु आरई आवंटन 600 करोड़ रुपये था। हालांकि, इसे बाद में संशोधित करके 725 करोड़ रुपये किया गया और इसका 100% उपयोग हुआ है। विशेष पैकेज को एक बार के लिए मंजूरी दी गई थी और यह मंत्रालय की नियमित योजना नहीं थी। विशेष पैकेज के तहत, केंद्रीय सहायता (सीए) दिनांक 1.4.2018 तक परियोजनाओं की शेष लागत की 25% (साथ ही वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए व्यय के लिए 25% प्रतिपूर्ति) की दर से अर्ह है। प्रतिपूर्ति के आधार पर किए गए व्यय पर 25% की दर से सीए जारी किया जाता है। हालांकि, राज्य वर्ष 2021-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत शामिल करने के लिए अपनी प्रमुख मध्यम सिंचाई (एमएमआई)/विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं का प्रस्ताव कर सकते हैं। विशेष क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली परियोजनाएं, अर्थात परियोजना का 50% से अधिक कमान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), जनजातीय क्षेत्र, बाढ़ प्रवण क्षेत्र, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र, बुंदेलखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा और केबीके (ओडिशा) के अधीन आता है, सामान्य क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं के लिए 25 (केंद्र): 75 (राज्य) के अनुपात की तुलना में 60 (केंद्रीय): 40 (राज्य) के अनुपात में केंद्रीय सहायता का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, ऐसे विशेष क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाली परियोजना के लिए समावेशन मानदंड में छूट का प्रावधान किया गया है और उन्हें पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल किया जा सकता है, भले ही उनकी वास्तविक प्रगति 50% से कम हो।

[का.ज्ञा.सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 16 (पैरा 2.16)

<u>बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)</u>

समिति नोट करती है कि जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने प्रणालीगत प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ चयनित बांधों की सुरक्षा और प्रचालनात्मक कार्यनिषपादन में सुधार करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2012 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) शुरू की थी। समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण केंद्रीय जल आयोग को सौंपा गया था। बांध पोर्टफोलियो की 99% (223 बांधों में से 221) भौतिक पुनर्वास गतिविधियां पूरी कर ली गई हैं और शेष दो बांध

परियोजनाओं में पुनर्वास का कार्य प्रगति पर था और नई योजना डीआरआईपी चरण दो के तहत पूरी कर ली जाएगी। समिति पाती है कि इस शीर्ष के तहत वास्तविक व्यय बीई आवंटन की तुलना में कम रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 में, 124 करोड़ रुपये और 89.37 करोड़ रुपये के बीई आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय क्रमशः 49.32 करोड़ रुपये और 41.61 करोड़ रुपये था। इसी तरह, वर्ष 2020-21 में, 55 करोड़ रुपये के बीई आवंटन की तुलना में केवल 30.51 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। विभाग ने संसाधनों के कम उपयोग के लिए कुछ देनदारियों के भुगतान में विलंब जैसे डीसी-डीआर सिस्टम (मुख्य और बैकअप सर्वर का हिस्सा), कोविड अवधि के दौरान प्रतिबंध, सीएसएमआरएस के अधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने, उन्हें योजित व्यय करने में समर्थ बनाने के लिए 31 मार्च, 2021 से पहले सीएसएमआरएस द्वारा अपेक्षित खरीद आदेश नहीं देने को इसका कारण बताया है। देश के बांधों के सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए डीआरआईपी कार्यक्रम के महत्व को ध्यान में रखते हुए और व्यापक टीकाकरण अभियान के कारण कोरोनावायरस महामारी में आ रही कमी को नोट करते हुए, समिति, विभाग से अब तैयार रहने और इस महत्वपूर्ण योजना के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह करती है।

सरकार का उत्तर

डीआरआईपी योजना में, बीई 2022-23 के तहत आवंटित प्रमुख प्रावधान, नए सीपीएमयू सलाहकार को अग्रिम भुगतान, सलाहकार के मासिक भुगतान चालान, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के संबंध में आईआईटी रुड़की को भुगतान, पिछली ड्रिप योजना के तहत पहले से खरीदे गए उपकरणों के लिए भुगतान, जिनकी संस्थापना और कमीशनिंग कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई, के लिए है। विभाग द्वारा इन गतिविधियों की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और साथ ही योजना के लिए उपलब्ध आधिकारिक तंत्र की भी निगरानी की जा रही है और आवंटित निधियों का सक्षम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[का.ज्ञा.सं. जी-30013/2/2022-बजट अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर-भाग (1)/30]

सिफारिश सं. 17 (पैरा 2.17)

<u>एक राष्ट्रीय तटबंध नीति बनाने की आवश्यकता</u>

समिति यह समझती है कि वर्तमान में देश में नदी तटों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए कोई व्यापक तटबंध नीति नहीं है। इस संबंध में, समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि विभाग ने राष्ट्रीय

तटबंध नीति बनाने के संबंध में पूछे गए उनके प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दिया है। विभाग ने केवल यह बताया है कि बाढ़ प्रबंधन राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है, और इसलिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी परियोजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जाती है। यह भी बताया गया था कि तटबंधों के रख-रखाव और और अनुरक्षण के मुद्दे के बारे में बताने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, तथापि, राज्य सरकारें उनके पास निधियों की कमी के कारण आवश्यकता के अनुसार तटबंधों का अनुरक्षण करने में विफल रहती हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि तटबंधों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों पर कहर बरपाती हैं और उनके लिए अनकही मुसीबतें लेकर आती है, समिति का यह सुविचारित मत है कि यदि तटबंधों का समुचित अनुरक्षण किया जाए तो वे बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, समिति, विभाग से अपनी निर्धारित नीति/स्थिति की समीक्षा करने और नदी तटों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से पालन किए जाने वाले नयाचारों/एसओपी को विनिर्दिष्ट करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय तटबंध नीति तैयार करने के लिए अर्थोपाय का पता लगाने का आग्रह करती है। समिति यह भी चाहती है कि विभाग को तटबंधों के रखरखाव के लिए जरूरतमंद राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। पड़ोसी देश से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ के संकट के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बार-बार होने वाली तबाही का संज्ञान लेते हुए, समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग, बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाए।

सरकार का उत्तर

कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों के दायरे में आती है, केंद्र सरकार क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, के चल रहे बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान बाढ़ प्रबंधन/कटाव रोधी परियोजनाओं को शुरू करने हेतु 2,252.53 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। एफएमबीएपी के तहत 415 पूर्ण परियोजनाओं ने लगभग 4.99 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की है और लगभग 52.21 मिलियन की आबादी की रक्षा की है।

भारत सरकार प्रभावी बाढ़ प्रबंधन और कटाव नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, शारदा, रावी, कोसी, बागमती, सुबनसारी, कृष्णा, महानदी, महानदा आदि जैसी प्रमुख नदियों में विभिन्न आईआईटी और एनआईआईटी द्वारा रूपात्मक अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन तट के कटाव/जमाव, अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन तट क्षरण/जमाव, उन्नयन/गिरावट आदि के लिए संवेदनशील स्थानों को खोजने में सहायता करते हैं। जहां तक तटबंधों का संबंध है, इन्हें आम तौर पर बाढ़ सुरक्षा की किफायती, आसान और सबसे लोकप्रिय विधि माना जाता है और अतीत में बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया है। तटबंध (रिंग बांध और शहर संरक्षण कार्यों सहित) बाढ़ के प्रवाह को सीमित करते हैं, वहां क्षति को कम करके रेत को जमा होने से रोकता है। तथापि, तटबंधों का निर्माण, नदी के मार्ग में परिवर्तन, संवेदनशील स्थानों, जैकेटिंग के कारण प्रवाह में वृद्धि आदि की पहचान के लिए नदी के उचित वैज्ञानिक, रूपात्मक और मॉडलिंग अध्ययन के बाद किया जाता है।

जहां तक बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवहार्यता का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि तटबंधों को ऊंचा करने और मजबूत करने के लिए परियोजनाओं को कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण हेतु योग्य माना जाता है। इसके अलावा, एफएमबीएपी से बाहर निकलने के दायरे को सभी सीमा पार / सीमा नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है, जहां पहले का दायरा बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती नदियों पर बाढ़ प्रबंधन कार्यों और नेपाल के भाग में पड़ने वाली कोसी और गंडक नदियों पर तटबंधों तक सीमित था।

केंद्रीय जल आयोग ने मुख्य रूप से बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों जैसे बाढ़ सुरक्षा कार्यों, कटाव रोधी उपायों और नदी प्रशिक्षण कार्यों से निपटने के लिए "बाढ़ संरक्षण, कटाव रोधी और नदी प्रशिक्षण कार्यों" के लिए एक विस्तृत पुस्तिका प्रकाशित की है। इस हैंडबुक में एकीकृत तरीके से बाढ़ प्रबंधन की योजना, निर्माण और निगरानी के लिए एक तैयार संदर्भ प्रदान करने के लिए निर्माण सामग्री, डिजाइन तटबंध के लिए दिशानिर्देश, बैंक रिवेटमेंट, स्पर्स / ग्रोइन्स, आरसीसी पॉर्क्यपाइन्स, जल निकासी सुधार कार्य, निर्माण पद्धति, लागत अनुमान और इकाई दर विश्लेषण का विवरण शामिल है। हैंडबुक सीडब्ल्यूसी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.cwc.gov.in/sites/default/files/Handbook-05-Jun-12_0.pdf पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, देश में कटावनिरोधी बोल्डर और नदी प्रशिक्षण कार्यों के लिए एक संभव विकल्प के रूप में उपर्युक्त सामग्री के साथ बाढ़ प्रबंधन कार्यों की प्रगति के मद्देनज़र गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग,

पटना ने "बाढ़ प्रबंध विनिर्माण के लिए जियो-टेक्सटाइल / जियो-बैग / जियो-ट्यूब" के संबंध में दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं।

[का. ज्ञा. सं. जी-30013/2/2022-बजट विभाग- एमओडब्ल्यूआर -भाग (1)/30]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 20 देखें)

सिफारिश सं. 18 (पैरा 2.18)

<u>वर्षा जल संचयन</u>

समिति संतुष्टि के साथ यह नोट करती है कि भारत सरकार ने वर्षा जल संचयन सहित भू-जल के सतत प्रबंधन के लिए जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू करने, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना, जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, विभिन्न इकाइयों द्वारा जल संरक्षण की सर्वोत्तम प्रणालियां संयोजित करना और आम जनता के लाभ के लिए उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। हालांकि, इसके साथ ही, समिति, विभाग के लिखित उत्तर से यह नोट करके निराश है कि सीजीडब्ल्यूबी ने देश में वर्षा जल संचयन को अपनाने और इसके प्रचार को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य और समय-सीमा तय नहीं की है। समिति का विचार है कि परिमाणनीय लक्ष्यों/उद्देश्यों को निर्धारित किए बिना कोई भी कार्यक्रम वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकता है, भले ही मंशा कितनी भी नेक हो। देश के बड़े भाग में भू-जल स्तर में तीव्र गिरावट को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि एनएक्यूआईएम कार्यक्रम की तर्ज पर विभाग को उन भौगोलिक क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिए जहां भू-जल स्तर को पुनः ऊपर लाने के लिए वर्षा जल संचयन प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है और निश्चित समय-सीमा के भीतर कार्य करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए।

सरकार का उत्तर

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्वावधान में संबद्ध निकाय सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार किया गया है, जो अनुमानित लागत सहित विभिन्न इलाकों की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को दर्शाने के लिए एक मैक्रो स्तरीय योजना है और मास्टर प्लान में भौगोलिक क्षेत्रों में जहां भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए व्यवहार्य क्षेत्र की पहचान पहले ही की जा चुकी है। मास्टर प्लान में

देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का दोहन किया जा सके। किसी अन्य जलापूर्ति परियोजना या शहर विकास परियोजना की तरह कार्यान्वयन योग्य स्तर पर संबंधित लाइन विभाग द्वारा डीपीआर तैयार किया जाना है। कार्यान्वयन केवल मौजूदा योजनाओं के माध्यम से किया जाना है और कार्यान्वयन के लिए कोई अलग योजना/निधि की परिकल्पना नहीं की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन एवं नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श और समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के लिए एक कार्रवाई योग्य ढांचा विकसित किया है, जिसका शीर्षक 'मिशन जल संरक्षण' है एवं वह निधियों का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित करता है। यह ढांचा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), पूर्व एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) अब पीएमकेएसवाई वाटरशेड विकास घटक और कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम) में उनके सामान्य उद्देश्यों को देखते हुए तालमेल सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत किए जाने वाले सामान्य कार्यों में जल संरक्षण और प्रबंधन, जल संचयन, मिट्टी और नमी संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ सुरक्षा, भूमि विकास, कमान क्षेत्र विकास और वाटरशेड प्रबंधन शामिल हैं।

अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और सीजीडब्ल्यूबी सहित इसके संगठन जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) और जेएसए: सीटीआर-2022 परिभाषित समय-सीमा के दौरान अभियानों के केंद्रित हस्तक्षेप के अनुसार तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं।

जेएसए: सीटीआर और जेएसए: सीटीआर-2022 के कार्यकलाप मुख्य रूप से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर केंद्रित हैं। दिनांक 07.04.2022 तक कार्यकलाप-वार प्रगति (पूर्ण और चल रहे कार्यों) में (i) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएं: 16,22,957; (ii) पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण: 2,96,958; (iii) पुन: उपयोग और रिचार्ज संरचनाएं: 8,31,961; (iv) वाटरशेड विकास: 19,18,395; (v) गहन वनरोपण: 36,75,68,460 शामिल हैं ।

[का. ज्ञा. सं. जी-30013/2/2022-बजट विभाग- एमओडब्ल्यूआर -भाग (1)/30]

अध्याय-तीन

सिफारिशें/ टिप्पणियाँ जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

शून्य

अध्याय - चार

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है

सिफारिश सं. 3 (पैरा 2.3)

जल संसाधन परिदृश्य

समिति नोट करती है कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता देश की जनसंख्या पर निर्भर है और देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता उत्तरोत्तर कम हो रही है। वर्ष 2001 और 2011 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1816 घन मीटर और 1545 घन मीटर आंकलित की गई थी जो जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कम हो सकती है। 1700 क्यूबिक मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है जबकि 1000 क्यूबिक मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को जल की कमी की स्थिति माना जाता है। समिति चिंता के साथ यह भी नोट करती है कि देश में सबसे बड़ा जल की खपत करने वाला क्षेत्र कृषि है, जिसके बाद घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र हैं। समिति को यह बताया गया है कि विभाग ने प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम अर्थात जल शक्ति अभियान का शुभारंभ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) का निर्माण, राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन (एनएक्यूआईएम) का कार्यान्वयन, अटल भुजल योजना (अटल जल) आदि उठाए हैं। इन उपायों के बावजूद, समिति का विचार है कि कृषि क्षेत्र में जल की खपत को कम करने की तत्काल आवश्यकता है। समिति का मानना है कि नमी सेंसर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ फसल विविधीकरण और फसल योजना से पानी के कम उपयोग के साथ अधिक उत्पादन करके प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में सुधार करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। अतः समिति सिफारिश करती है कि कृषि क्षेत्र में जल के उपयोग को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ मिलकर सक्रिय कदम उठाए और काम करे। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आर्थिक सहायता प्राप्त बिजली और उर्वरक ने किसानों को जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी जल गहन फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, समिति का यह सुविचारित मत है कि संस्थागत परिवर्तन समय की मांग है। अतः समिति विभाग से कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और संबंधित राज्यों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करती है ताकि ऊर्जा सक्षम मूल्य निर्धारण के विकल्प का पता लगाया जा सके, जो भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन सकें।

सरकार का उत्तर

सीजीडब्ल्यूबी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तत्वावधान में एक संबद्ध निकाय है जिसने बारहवीं योजना के दौरान 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' योजना के अंतर्गत जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। जलभृत मानचित्रण का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशेष भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने में जलभृत की स्थिति और उसके लक्षणों की पहचान करना है। कृषि क्षेत्र जैसे फसल विविधता, छिड़काव प्रणाली, ड्रिप सिंचाई इत्यादि सहित प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उचित उपाय/कार्यान्वयन करने के लिए साझा किया जाता है। इसके अलावा, किसानों सहित हितधारकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम) कार्यक्रम के भाग के रूप में जलभृत प्रबंधन योजनाओं के सिद्धांतों के प्रसार हेतु जमीनी स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रम (पब्लिक इंटरैक्शन प्रोग्राम) आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक, देश के विभिन्न हिस्सों में 1,093 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 'अति-दोहित' और 'गंभीर' भूजल क्षेत्र शामिल हैं, जहां किसानों सहित लगभग 90,000 लोगों को जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में संवेदनशील बनाया गया है। एनएक्यूयूआईएम आउटपुट को राज्य भूजल समन्वय समितियों (स्टेट ग्राउंड वाटर कॉर्डिनेशन कमेटी) के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है, जिनकी अध्यक्षता संबंधित राज्यों के संबंधित प्रधान सचिव करते हैं। वर्ष 2018 से, सीजीडब्ल्यूबी ने जिला प्राधिकरणों के साथ एनएक्यूयूआईएम की सिफारिशों को साझा करना शुरू कर दिया है और अब तक, 377 जिलों के संबंध में आउटपुट पहले ही जिला प्राधिकरणों के साथ साझा किए जा चुके हैं। आउटपुट को प्रभावी उपयोग के लिए अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी साझा किए जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी जरूरत के हिसाब से राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता का अनुरोध किए जाने पर तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। निजी व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा जल संरक्षण की उत्कृष्ट प्रणालियों को संकलित किया गया है जिसे इस विभाग की वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है। जनता से इनपुट प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट प्रणालियों पर एक इंटरैक्टिव लिंक भी बनाया गया है जिसे जनता के फायदे के लिए आवश्यक मूल्यांकन/सत्यापन के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है।

देश के विभिन्न भागों में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना के तहत प्रत्येक वर्ष समय-समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम (प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी, व्यापार मेले और पेंटिंग प्रतियोगिता आदि) आयोजित किए जाते हैं जिससे कि सिंचाई क्षेत्र सहित जल संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके।

कृषि क्षेत्र में फसलों की विविधता और जल उपयोग दक्षता के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 14.11.2019 को एक जागरूकता अभियान अर्थात 'सही फसल' अभियान शुरू किया गया था जिससे कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा सके जिसमें जल की कम खपत हो और जो जल का बहुत कुशलता से उपयोग करती हों; आर्थिक रूप से लाभकारी हों; स्वस्थ और पौष्टिक हों; जो क्षेत्र की कृषि-जलवायु-जलीय विशेषताओं और पर्यावरण के अनुकूल हों। सही फसल के अंतर्गत 14.11.2019 को अमृतसर (पंजाब) में, 13.01.2020 को औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में और 14.02.2020 को कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में और 26-27.11.2019 को नई दिल्ली में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाओं की श्रृंखला का आयोजन किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22.03.2021 को 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 के दौरान देश भर में - प्री-मानसून और मानसून अवधि में सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों के परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए जल शक्ति अभियान : कैच द रेन अभियान को शुरू किया गया था। देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन - 2022 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29.03.2022 को "कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, वेहन इट फाल्स" थीम के साथ शुरू किया गया है। देश में प्री-मानसून और मानसून अवधि में अभियान को 29 मार्च, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक लागू किया जाएगा।

देश के सभी ग्रामीण और शहरी जिलों में प्री-मानसून और मानसून अवधि दिनांक 29.03.2022 से 29.03.2022 के दौरान वर्षा जल संचयन और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 10 सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त अर्ध-शासकीय पत्र दिनांक 15.04.2022 को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन - 2022 अभियान के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रधान सचिवों को लिखा गया था। जल के पुन: उपयोग, रि-साइकलिंग और पुनर्भरण का सिद्धांत अभियान में निहित रहेगा और उपयोग किए गए या अपशिष्ट जल विशेष रूप से ग्रे-वाटर प्रबंधन भी अभियान का हिस्सा होगा।

चूंकि, देश आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए देश के प्रत्येक जिले में 'अमृत सरोवर' नाम से 75 जल निकायों को सृजित करने या पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल, 2022 को राष्ट्र को संबोधित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया। इस दिशा में प्रयास पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और 24 अप्रैल, 2022 से 15 अगस्त, 2023 तक अमृत काल के दौरान देश भर में लगभग 50,000 अमृत सरोवर पूरे किए जाएंगे। इस संबंध में 18.04.2022 को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के 6 सचिवों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक संयुक्त सलाह भी जारी की गई है।

अमृत सरोवरों के साथ जिलेवार योजना साझा करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कार्य योजना में जीपीएस मैपिंग और कार्य को पूरा करने की आवश्यक अवधि शामिल होनी चाहिए। स्थलों को अंतिम रूप से चयन करते समय, जिलों को विशेष रूप से पेयजल के संदर्भ में जल की कमी वाले ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जल की खपत कम करने के लिए समिति की सिफारिश का भी अनुपालन किया जा रहा है, जहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, फसल की विविधता आदि का उपयोग करते हुए ऐसे कार्यों में मांग पक्ष के कार्यों के माध्यम से जल दक्षता के संवर्धन से कुशल सिंचाई पर जोर दिया गया है। राज्यों को इन मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में कृषि और संबंधित मामलों में जल के अधिक कुशल उपयोग पर चर्चा करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 13.04.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

[का. ज्ञा. सं. जी-30013/2/2022-बजट विभाग- एमओडब्ल्यूआर -भाग (1)/30]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 8 देखें)

सिफारिश सं. 11 (पैरा 2.11)

<u>भारत सुखाचार अधिनियम, 1882 में संशोधन</u>

समिति नोट करती है कि यद्यपि भारत सरकार ने देश में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं और कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, तथापि, संस्थागत ढांचे में अब भी कुछ अंतर हैं, जिनमें से एक 'भारत सुखाचार अधिनियम, 1882' है, जो भूजल नियंत्रण के लिए एक रुकावट है। यह अधिनियम भूजल पर सुखभोग अधिकारों के सृजन को प्रतिबंधित करता है और मालिक को अपनी संपत्ति के नीचे के पानी पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है, जिससे वह इसे जैसा उपयुक्त समझे उपयोग कर सके, जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर भूजल के उपयोग हेतु खुदाई की जाती है, जिसके कारण

इसका अत्यधिक दोहन होता है। जल स्तर की बिगड़ती गुणवत्ता के साथ-साथ जल स्तर के खतरनाक स्तर तक कम होने का संज्ञान लेते हुए, समिति ने विभाग से 'भारत सुखाचार अधिनियम, 1882' में संशोधन करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया है ताकि विधायी और संस्थागत समर्थन प्रदान करके भूजल संरक्षण तंत्र में मौजूद कमियों को आवश्यक रूप से दूर किया जा सके।

सरकार का उत्तर

इज़मेन्ट अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में संयुक्त सचिव (प्रशासन, आईसी और जीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2022 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी, सदस्य, सीजीडब्ल्यूए, निदेशक (भूजल, ज.सं. न.वि. और गं.सं. विभाग) और विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि इंडियन इज़मेन्ट एक्ट, 1882 में संशोधन का विषय जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी है और आवश्यकता होने पर वह संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है।

इस बैठक में भूजल प्रवाह के मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान और एनएक्यूयूआईएम अध्ययन के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों पर विचार करते हुए एक प्रश्न उठाया गया था कि जब यह बिना किसी संदेह के स्पष्ट हो चुका था कि भूजल प्रवाह उथले जलभृतों में जल स्तर की ऊंचाई और गहरे जलभृतों में पाईज़ोमेट्रिक शीर्षों के आधार पर एक परिभाषित चैनल में गुजरता है तो क्या इंडियन इज़मेन्ट एक्ट, 1882 में संशोधन अपेक्षित होगा या नहीं।

इस संबंध में, सीजीडब्ल्यूबी ने दिनांक 24 मई 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक विचार-मंथन सत्र का आयोजन किया जिसमें सीजीडब्ल्यूबी के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों और सीजीडब्ल्यूबी के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने भाग लिया।

विचार-मंथन सत्र के परिणाम से पता चला कि इंडियन इज़मेन्ट एक्ट, 1882 की धारा 7 (ख) (छ) में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि धारा 7 (ख) (छ) के स्पष्टीकरण में एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण को जोड़ा जा सकता है जो कि यह है-"भू सतह के नीचे बहने वाला भूजल हाइड्रोलिक हेड और वॉटर टेबल कॉन्टूरिंग के बाद एक निश्चित चैनल में बहता है"।

इसलिए, भूमि के मालिक को अपनी जमीन के नीचे बहने वाले पानी का उपयोग जैसा उचित समझे, करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, 7 (ख) (ट) में उल्लिखित मालिक का अधिकार वही रहता है।

[का. ज्ञा. सं. जी-30013/2/2022-बजट विभाग- एमओडब्ल्यूआर -भाग (1)/30]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 14 देखें)

सिफारिश सं. 15 (पैरा 2.15)

<u>राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना- अन्य बेसिन</u>

समिति नोट करती है कि 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी)' की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नदियों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जबकि केंद्र और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के बीच पूंजी व्यय की साझेदारी की जाती है और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा 100% प्रचालनात्मक व्यय वहन किया जाता है। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनआरसीपी - अन्य बेसिन के लिए 250.68 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो कि नमामि गंगे मिशन दो परियोजना के तहत गंगा नदी के लिए निर्धारित 2800 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में एक मामूली राशि है। इस संबंध में, विभाग ने समिति को बताया है कि यदि आवश्यक हुआ तो आरई स्तर पर अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाएगी। तथापि, इस संबंध में समिति यह बताना चाहेगी कि डीएफजी (2020-21) की जांच के दौरान, इस योजना के तहत अल्प आवंटन के मुद्दे पर (वित्त वर्ष 2020-21 में बजट अनुमान मात्र 220 करोड़ रुपये था), विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत संशोधित योजना का अनुमोदन प्राप्त होने पर अधिक आवंटन की मांग की जाएगी। समिति, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एनआरसीपी देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों को कवर करता है, इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केवल 250.68 करोड़ रुपये के अल्प आवंटन से संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार समिति यह मानने के लिए बाध्य है कि विभाग ने इस अतिमहत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के अपने प्रयासों में कठोर और उदासीन रवैया प्रदर्शित किया है। समिति का यह सुविचारित मत है कि देश की अन्य सभी प्रमुख नदियाँ गंगा नदी के समान ही प्रदूषित हैं, और उन्हें समान ध्यान और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसलिए, समिति, विभाग से संशोधित अनुमान चरण, अनुपूरक मांग चरण में इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन में वृद्धि करने हेतु सक्रिय

कदम उठाने की सिफारिश करती है। समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।

सरकार का उत्तर

एनआरसीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के बीच पूंजीगत व्यय को साझा किया जाता है, और परिचालन व्यय राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा 100% वहन किया जाता है। साथ ही वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल परिव्यय 1,252 करोड़ रुपये है, जिसका औसत वार्षिक परिव्यय लगभग 225 करोड़ रुपये है। नमामि गंगे मिशन- II के मामले में पूंजीगत और परिचालन व्यय दोनों एनएमसीजी द्वारा वहन किए जाते हैं।

इसके अलावा, नमामि गंगे मिशन और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बीच फंडिंग पैटर्न में भी अंतर है। एनजीएम 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जबकि एनआरसीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार सामान्य रूप से गैर-पूर्वोत्तर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में निधि का 60% और एनईआर, हिमालयी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 90:10 की सीमा तक धन देती है। यही कारण है कि एनएमसीजी और एनआरसीपी के बीच बजटीय आवंटन का अंतर बहुत अधिक है।

नदियों की सफाई और संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। देश में नदियाँ और अन्य जल निकाय मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अशोधित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और उनसे संबंधित जलग्रहण क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन के कारण प्रदूषित हैं। यह राज्यों/केंद्र राज्य क्षेत्रों (यूटी), स्थानीय निकायों और औद्योगिक इकाइयों की जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों के तटीय जल या भूमि में प्रदूषण के निर्वहन से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के आवश्यक उपचार को निर्धारित मानदंडों तक के लिए रोकना और उन्हें नियंत्रित करना सुनिश्चित करें। नदियों के संरक्षण हेतु गंगा बेसिन में नदियों हेतु नमामी गंगे की केन्द्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के केन्द्र प्रायोजित योजना द्वारा देश में नदियों के चिन्हित खंडों में प्रदूषण को रोकने के लिए यह विभाग वित्तीय एवं तकनीकी सहायता द्वारा राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा कर रहा है।

एनआरसीपी ने अब तक देश के 16 राज्यों में फैले 77 शहरों में 34 नदियों पर प्रदूषित हिस्सों को कवर किया है, जिसकी परियोजना स्वीकृत लागत 6,050.18 करोड़ रुपए है, और अन्य बातों के साथ-साथ, 2,677 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है।

प्रदूषित नदी क्षेत्रों के साथ चिन्हित शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्यों/योजनाओं के प्रस्ताव एनआरसीपी के तहत समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विचारार्थ प्राप्त होते हैं, जिन्हें उनकी प्राथमिकता, और एनआरसीपी के दिशानिर्देशों के अनुरूप, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। आरई स्तर पर, समिति की सिफारिश के अनुपालन में अतिरिक्त निधियों की अनुपूरक मांग की जा सकती है।

[का. ज्ञा. सं. जी-30013/2/2022-बजट विभाग- एमओडब्ल्यूआर -भाग (1)/30]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा सं. 17 देखें)

अध्याय-पांच

सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

शून्य

नई दिल्ली;
16 दिसंबर, 2022
25 अग्रहायण, 1944(शक)

परबतभाई सवाभाई पटेल
सभापति
जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध – I

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की गुरूवार, 15 दिसंबर, 2022 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही

सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1715 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, भूतल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री विजय बघेल
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री भागीरथ चौधरी
5. श्री गुमान सिंह दामोर
6. डॉ. के. जयकुमार
7. श्री धनुष एम. कुमार
8. श्री सुनील कुमार
9. श्री हसमुखभाई एस.पटेल
10. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
11. श्री शिवकुमार.सी. उदासी

राज्य सभा

12. श्री अनिल प्रसाद हेगडे
13. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
14. श्रीमती मौसम नूर
15. संत बलबीर सिंह

सचिवालय

1. श्री चंदर मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री अजय कुमार सूद - निदेशक
3. श्री राम लाल यादव - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया जो की जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) की अनुदान मांगों (2022-23) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए बुलाई गई थी ।

3. *** *** *** *** *** ***
4. *** *** *** *** *** ***
5. *** *** *** *** *** ***

6. तत्पश्चात, समिति ने जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) की अनुदान मांगों (2022-23) पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर मसौदा रिपोर्ट पर विचारार्थ चर्चा शुरू की। कुछेक विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया।

7. तत्पश्चात्, समिति ने अपनी ओर से इन प्रतिवेदनों को चालू बजट सत्र में संसद के दोनों ही सदनों में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

******

अनुबंध- II

06.06.2022 के अनुसार सीजीडब्ल्यू में रिक्तियों को भरे जाने की स्थिति

क्र. सं.	पद का पदनाम	सीजीडब्ल्यू स्ट्रीम	स्तर	स्वीकृत संख्या	भरी गई संख्या	आरआर के अनुसार डीआर / पीआर मापदंड	रिक्त पद	डीआर रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई	पीआर रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई
	समूह-क	-		-	-	-	-	-	-
1	अध्यक्ष	एससीआई	स्तर 15 (एचएजी)	1	1	100 % पदोन्नति	0		
2	सदस्य	एससीआई	स्तर 14	4	1	100 % पदोन्नति	3		प्रतिनियुक्ति द्वारा 03 रिक्तियों को भरने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा रिक्ति विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है।
3	सदस्य	इंजीनियरिंग	स्तर 14	1	0	100 % पदोन्नति	1		वर्ष 2022 में पात्र नहीं है। वर्ष 2023 के लिए डीपीसी जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत कर दिया गय है।
4	परियोजना निदेशक (सदस्य वैज्ञानिक स्तर)	एससीआई	स्तर 14	1	0	प्रतिनियुक्ति द्वारा	1		जल संसाधन विभाग द्वारा विज्ञापन पर कार्रवाई हो रहा है।
5	क्षेत्रिय निदेशक	एससीआई	स्तर 13	18	17	पदोन्नति 100 प्रतिशत	1		01 पद के लिए डीपीसी का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
6	क्षेत्रिय निदेशक	इंजीनियरिंग	स्तर 13	3	3	पदोन्नति 100 प्रतिशत	0		

7	वैज्ञानिक-डी (जल–भू विज्ञान)	एससीआई	स्तर 12	294	213	पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत (वैज्ञानिक-बी के स्तर पर भर्ती)	81	डीआर-48 (नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिया है- 16, विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है -20, प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित-12)	पीआर-33 (डीपीसी को 174 पदों की अधिकतम सीमा के कारण वैज्ञानिक-बी से वैज्ञानिक-सी तक एफसीएस पूरा करने के बाद बैठाया जाना है) वर्तमान में डीओडब्ल्यूआर/यूपीएससी के विचाराधीन वैज्ञानिक-बी से वैज्ञानिक-सी तक एफसीएस प्रस्ताव।
8	वैज्ञानिक-सी (जल–भू विज्ञान)	एससीआई	स्तर 11						
9	वैज्ञानिक-बी (जल–भू विज्ञान)	एससीआई	स्तर 10						
10	वैज्ञानिक-डी (रसायन)	एससीआई	स्तर 12	32	28	पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधे 50 प्रतिशत(वैज्ञानिक-बी के स्तर पर भर्ती)	4	डीआर- 03 (नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिया है– कार्य-भार ग्रहण प्रतिक्षित है) डीआर-01 (यूपीएससी -2022 परीक्षा द्वारा पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया)	
11	वैज्ञानिक-सी (रसायन)	एससीआई	स्तर 11						
12	वैज्ञानिक- बी (रसायन) वैज्ञानि- बी (रसायन) के लिए 23 तक सीमित	एससीआई	स्तर 10						
13	वैज्ञानिक-डी (भूभौतिकी)	एससीआई	स्तर 12	31	20	पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधे 50 प्रतिशत (वैज्ञानिक-बी के स्तर पर भर्ती)	11	डीआर-05 (नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिया है–05, कार्य-भार ग्रहण प्रतिक्षित है), नामांकन प्रतीक्षित - 01, 01 पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन (परीक्षा - 2022)	वैज्ञानिक-बी (भूभौतिकी) – 04 डीपीसी प्रक्रियाधीन है।
14	वैज्ञानिक-सी (भूभौतिकी)	एससीआई	स्तर 11						

15	वैज्ञानिक-बी (भूभौतिकी)	एससीआई	स्तर 10						
16	वैज्ञानिक-बी, सी और डी (जल मौसम विज्ञान)	एससीआई	स्तर 10, 11 & 12	9	7	पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत	2	वैज्ञानिक-बी (जल मौसम विज्ञान) के 01 पद के लिए - आरआर (प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है) के संशोधन के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।	01 पद के लिए- भर्ती वर्ष 2022 के लिए डीपीसी यूपीएससी को प्रस्तुत किया गया। यूपीएससी ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे और प्रक्रिया के तहत जवाब मांगा।
17	वैज्ञानिक-डी (जल विज्ञान)	एससीआई	स्तर 12	8	3	पदोन्नति द्वारा 40 प्रतिशत	5	03 रिक्तियों के लिए - यूपीएससी द्वारा विज्ञापन दे दिया गया है। 01 रिक्ति के लिए: - बहाली चल रही है। 01 रिक्ति के लिए: - पिछले नामांकन का प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि यूपीएससी पहले के प्रस्ताव को निपटान तक नए लोगों को स्वीकार नहीं करता है।	
18	वैज्ञानिक-सी (जल विज्ञान) (एससी-सी 7 तक सीमित)	एससीआई	स्तर 11			सीधी भर्ती द्वारा 60 प्रतिशत	0		
19	कलाकार	एससीआई	स्तर 10	1	0	100 % पदोन्नति	1		पद को फिर से बहाल कर दिया गया है। डीपीसी के लिए भेजा जाएगा।

20	प्रणाली विश्लेषक	एससीआई	स्तर 10	1	0	सीधा भर्ती 100 प्रतिशत	1	पद 3/2022 में बहाल किया गया। जल संसाधन विभाग को नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	
21	प्रोग्रामर	एससीआई	स्तर 10	1	0	सीध भर्ती 100 प्रतिशत	1	यूपीएससी के साथ	
22	अधीक्षण अभियंता	अभियंता	स्तर 12	5	1	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	4		अधीक्षण अभियंता:- 03 डीपीसी यूपीएससी के पास है। 01 पद के लिए: पदोन्नति आदेश जारी किया गया और कार्यभार ग्रहण करने की प्रतीक्षा की जा रही है।
23	अधिशाषी अभियंता	अभियंता	स्तर 11	19	17	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	2		डीपीसी जल संसाधन विभाग को 01/2022 को भेजा गया।
24	सहायक अधिशाषी अभियंता	अभियंता	स्तर 10	32	13	पदोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत सीधी भर्ती (डीआर)द्वारा 25 प्रतिशत	19	एईई की 03 डीआर रिक्तियों के लिए: आरआर के संशोधन के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है (आरआर संशोधन प्रस्ताव 10.03.2022 को भेजा गया)	16 पदों के लिए- डीपीसी डीओडब्ल्यूआर को 03.12.2021 को भेजा गया और बाद में स्पष्टीकरण दिनांक 15.03.2022 को भेजा गया।
25	सदस्य (वित)	मंत्री	स्तर 14	1	1	प्रतिनियुक्ति 100 प्रतिशत	0		
26	निदेशक (प्रशासन)	मंत्री	स्तर 13	1	0	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन/ पुनःरोजगार द्वार 100 प्रतिशत	1	जल संसाधन विभाग द्वारा आदेश जारी करने के लिए	

27	उप. आयुक्त (सांख्यिकी)	एससीआई	स्तर-12	1	1	बाह्य-संवर्ग पद	0	यह पद सांख्यिकी विभाग द्वारा भरा जाना है। दिनांक 22.02.21 को अनुरोध भेजा गया और 6.10.2 और 14.03.22 को अनुस्मारक भेजा गया।	
28	उप निदेशक (सांख्यिकी)	एससीआई	स्तर-11	1	1	बाह्य-संवर्ग पद	0		
29	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	एससीआई	स्तर-10	1	0	बाह्य-संवर्ग पद	1	यह पद सांख्यिकी विभाग द्वारा भरा जाना है। दिनांक 22.02.21 को अनुरोध भेजा गया और 6.10.2 और 14.03.22 को अनुस्मारक भेजा गया।	
30	एफएओ	मंत्री	स्तर 12	1	1	प्रतिनियुक्ति द्वारा 100 प्रतिशत	0		
31	प्रशासक	मंत्री	स्तर 11	1	0	प्रतिनियुक्ति द्वारा 100 प्रतिशत	1	यूपीएससी में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	
32	सीनियर एओ	मंत्री	स्तर 11	1	1	100 % पदोन्नति	0		
33	डीडी (राजभाषा)	मंत्री	स्तर 11	1	1	संयोजन प्रक्रिया	0		
34	एलआईओ	मंत्री	स्तर 11	1	0	प्रतिनियुक्ति द्वारा 100 प्रतिशत	1	सात वर्ष से अधिक रिक्त पद और अतः विपगत माने जाने पर विचार चल रहा है। जल संसाधन विभाग को पद के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।	

35	एडी (ओएल)	मंत्री	स्तर 10	1	1	संयोजन प्रक्रिया	0		
	समूह - क कुल			**472**	**331**		**141**		
	समूह- ख (राजपत्र)						**0**		
36	सहायक जल भूविज्ञानी	एससीआई	स्तर 8	129	76	पदोन्नति द्वारा 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 90 प्रतिशत	53	सहायक जल भूविज्ञानी: 48 दिनांक 22.12.2021 को मंत्रालय को 48 रिक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा गया। डीओडब्ल्यूआर ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे और वह प्रक्रियाधीन है। सहायक जल भूविज्ञानी: 03 मांग-पत्र पिछले प्रस्ताव के नामांकन के बाद मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। 01 पद के लिए - डोजियर प्राप्त हुआ और नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिया है– कार्य-भार ग्रहण प्रतिक्षित है।	01 पद के लिए - एसटी वर्ग में कोई उम्मीदवार पात्र नहीं है।
37	सहायक भूभौतिकीविद्	एससीआई	स्तर 8	19	10	पदोन्नति 100 प्रतिशत	9		09 रिक्तियों के लिए - जल संसाधन विभाग में 01.04.2022 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। डीओडब्ल्यूआर ने दिनांक 26.04.2022 के पत्र के माध्यम से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। जो प्रक्रियाधीन है। जैसा जल संसाधन विभाग द्वारा कहा गया कि सहायक भूभौतिकीविद् के 03 पद के बहाली के लिए 3.05.2022 को जल संसाधन विभाग में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

38	सहायक केमिस्ट	एससीआई	स्तर 8	23	18	पदोन्नति द्वारा 33 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 67 प्रतिशत	5	सहायक केमिस्टः 04 मंत्रालय को 23.06.21 को 04 रिक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा गया। जल संसाधन विभाग ने इसे यूपीएससी को प्रस्तुत किया। यूपीएससी ने कुछ कमियां निकाली, जल्द ही जवाब दिया जाएगा।	01 पद के लिएः डीपीसी प्रक्रियाधीन है।
39	सहायक जलविज्ञानी	एससीआई	स्तर 8	5	3	सीधी भर्ती 100 प्रतिशत	2	आरआर में संशोधन के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। (आरआर प्रस्ताव 05.01.2022 को भेजा गया)	

40	सहायक हाइड्रो मौसम विज्ञानी	एससीआई	स्तर 8	3	1	पदोन्नति 100 प्रतिशत	2		02 रिक्तियों के लिए - फीडर ग्रेड में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। 19-25 सितंबर 2020 को रोजगार समाचार में पद का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आवेदन प्राप्त हुआ और कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। अतः आरआर के अनुसार, मंत्रालय को भेजी गई सीधी भर्ती के माध्यम से इन रिक्तियों को भरने की स्वीकृति मिली। लेकिन इस टिप्पणी के साथ लौटाया गया कि इन रिक्तियों को बहाल किया जा सकता है। 02 रिक्तियों के बहाली का प्रस्ताव इस मंत्रालय को इसके कार्यालय पत्र दिनांक 24.02.2022 के माध्यम से भेजा गया है।
41	अधिकारी सर्वेक्षक	एससीआई	स्तर 7	16	13	पदोन्नति 100 प्रतिशत	3		01 के लिए - नियुक्ति प्रतीक्षित है और 02 - डीपीसी प्रक्रियाधीन है।
42	मुख्य ड्राफ्ट्समैन	एससीआई	स्तर 7	19	14	पदोन्नति 100 प्रतिशत	5		05 रिक्तियों के लिए:- डीपीसी प्रक्रियाधीन है।
43	कारटोग्रफ़र	एससीआई	स्तर 7	4	1	सीधी भर्ती 100	3	मैचिंग सेविंग्स के तहत रिक्तियां रखी गई।	
44	सहायक अभियंता	अभियंता	स्तर 8	20	15	पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशतडीआर द्वारा 50 प्रतिशत	5	सहायक अभियंता:- 01 यूपीएससी द्वारा सितंबर 2020 को प्रकाशित विज्ञापन।	बहाली के तहत 03 पदों के लिए- 02.09.21 को जल संसाधन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसके बाद 01.2.22 और 10.2.22 को स्पष्टीकरण दिया गया। 01 पद - कोई पात्र उम्मीदवार (एसटी) नहीं।
45	ड्रिलर-इन-चार्ज	अभियंता	स्तर 8	69	61	पदोन्नति द्वारा 66.66 प्रतिशत, ऐसा न करने पर सीधी भर्ती द्वारा 33.33 प्रतिशत	8	डीआईसी के 04 पदों के लिए: - यूपीएससी द्वारा 01 मार्च 2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। 01 पद के लिए, एनएसी प्राप्त हुआ और शीघ्र ही जल संसाधन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है।	03 रिक्तियों के लिए: कोई पात्र उम्मीदवार (एसटी) नहीं है।

46	प्रशासी अधिकारी	मंत्री	स्तर 8	21	20	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	1		
47	सीनियर पी एस	मंत्री	स्तर 8	1	1	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	0		
48	पी.एस.	मंत्री	स्तर 7	5	4	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	1		डीपीसी प्रक्रियाधीन :01
49	सहायक लेखा अधिकारी	मंत्री	स्तर 8	17	11	बाह्य-संवर्ग पद	6	लेखा नियंत्रक द्वारा भरा जाना - अनुरोध भेजा गया।	
	समूह- ख (राजपत्र) कुल			**351**	**248**		**103**		
	समूह- ख (एनजी)								
50	एसटीए (जल विज्ञान)	एससीआई	स्तर 7	28	15	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	13	03 के लिए 17.11.2021 को एसएससी को भेजा गया प्रस्ताव, 12.05.22 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। 04, के लिए- प्रस्ताव 26.11.19 को भेजा गया, 25.02.20 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। 05- के लिए, प्रस्ताव 26.02.21 को भेजा गया। 12.05.22 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया, 01 के लिए - 14.09.21 को एसएससी के लिए प्रस्ताव।	
51	एसटीए (जल मौसम विज्ञानी)	एससीआई	स्तर 7	1	0	100% Direct	1	01 पद के लिए - एसएससी को 25.01.22 को भेजा गया प्रस्ताव।	

52	एसटीए (रासायनिक)	एससीआई	स्तर 7	24	14	100% Direct	10	दिनांक 25.2.20-06 को पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया, प्रस्ताव 3.2.21 और 17.8.21-04 को भेजा गया। 12.05.22-04 को पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया।	
53	एसटीए (भूभौतिकी)	एससीआई	स्तर 7	14	5	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	9	दिनांक 24.9.21-08 को पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया, 24.2.22-01 को प्रस्ताव भेजा गया।	
54	नक्शानवीस	एससीआई	स्तर 6	62	26	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	36	24.9.21-10 को पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया, 12.05.22-07 को पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया, 24.12.21-19 को प्रस्ताव भेजा गया।	
55	सर्वेक्षक	एससीआई	स्तर 6	50	5	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	45	12.05.22 - 28 को पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया 28.01.22 - 17 को प्रस्ताव भेजा गया।	
56	एसटीए (एम)	अभियंता	स्तर 7	11	9	पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत	2	02 सीधी रिक्तियों के लिए : 18.01.2021 को एसएससी, चंडीगढ को प्रस्ताव भेजा गया। एसएससी द्वारा सूचित चरण 10 में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।	
57	फोरमैन	अभियंता	स्तर 6	48	33	पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत	15	10 रिक्तियों के लिए: - चरण 10 में विज्ञापन प्रकाशित होने के कारण एसएससी, चंडीगढ़ और कोलकाता को प्रस्ताव भेजा गया। एनएसी प्रतीक्षित - 02	03 रिक्तियों के लिए- डीपीसी बैठाया जाना है।

58	कनिष्ठ अभियंता	अभियंता	स्तर 6	18	14	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	4	डोजियर प्रतीक्षित - दिनांक 24.9.2102 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया 01, एनएसी प्रतीक्षित -01	

59	स्टोर अधीक्षक	अभियंता	स्तर 6	7	6	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत ऐसा न करने पर सीधी भर्ती	1	नियुक्ति जारी कर दिया गया है - 01	
60	ड्रिलर-कम-मैकेनिक	अभियंता	स्तर 6	181	92	पदोन्नति द्वारा 30 प्रतिशत साधी भर्ती द्वारा 70 प्रतिशत	89	24.9.21 को एसएससी द्वारा 77 रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया, एनएसी प्रतीक्षित -12	
61	कार्यालय अधीक्षक	मंत्री	स्तर 6	116	102	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	14		प्रक्रियाधीन एलडीसीई: 11, प्रक्रियाधीन डीपीसी: 03
62	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	मंत्री	स्तर 7	1	0	पदोन्नति 100 प्रतिशत	1		डीपीसी का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।
63	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	मंत्री	स्तर 6	6	4	सीधी भर्ती 100 प्रतिशत	2	एसएससी से डोजियर प्रतीक्षित- 01, एनएसी प्रतीक्षित - 01	
64	आशुलिपिक (जी-आई)	मंत्री	स्तर 6	42	23	डीआर 80% + पीआर 20%	19	16 डीआर रिक्तियों के लिए - आरआर के अनुसार आयु 18-27 है, SSC के विज्ञापन के अनुसार आयु 18-30 है। आरआर में संशोधन के लिए मंत्रालय से संपर्क किया। मंत्रालय ने आरआर में संशोधन के बजाय एसएससी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में संशोधन की व्यवहार्यता का पता लगाने की सलाह दी। आगे, मामले पर कार्रवाई की जा रही है।	

65	स्टाफ कार चालक (एसजी)	मंत्री	स्तर 6	25	23	पदोन्नति 100 प्रतिशत	2		प्रक्रियाधीन डीपीसी : 02
	समूह-ख(अराजपत्र) कुल			**634**	**371**	**0**	**263**		
	समूह-ग						**0**		
66	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड- III	एससीआई	स्तर 4	1	1	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	0		
67	फोटोग्राफर ग्रेड- I	एससीआई	स्तर 5	1	1	पदोन्नति 100 प्रतिशत	0		
68	फोटोग्राफर ग्रेड- II	एससीआई	स्तर 4	1	0	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	1	मैचिंग सेविंग्स के तहत रखी गई रिक्तियां।	
69	प्रयोगशाला सहायक	एससीआई	स्तर 3	16	14	पदोन्नति 100 प्रतिशत	2		डीपीसी प्रक्रियाधीन है
70	प्रयोगशाला परिचारक	एससीआई	स्तर 1	58	27	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	31	एसएससी क्षेत्रों के लिए 44 रिक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा गया।	
71	एडीसीएम -I	अभियंता	स्तर 5	159	138	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	21		निदेशक (प्रशासन) के शामिल होने के बाद 21 पदों के लिए डीपीसी बैठाया जाना है।
72	एडीसीएम-II	अभियंता	स्तर 4	159	153	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	6		निदेशक (प्रशासन) के शामिल होने के बाद 06 पदों के लिए डीपीसी बैठाया जाना है।
73	टीओडी	अभियंता	स्तर 2	808	553	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	255	एनएसी: 31, प्रस्ताव भेजा गया : 106, डोजियर प्रतिक्षित: 118,	
74	स्टोर कीपर	अभियंता	स्तर 4	31	30	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	1		निदेशक (प्रशासन) के शामिल होने के बाद 01 पदों के लिए डीपीसी बैठाया जाना है।
75	इलेक्ट्रीशियन-I	अभियंता	स्तर 5	2	1	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	1		निदेशक (प्रशासन) के शामिल होने के बाद 01 पदों के लिए डीपीसी बैठाया जाना है।

76	इलेक्ट्रीशियन-II	अभियंता	स्तर 4	2	1	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	1		एसएससी को प्रस्ताव भेजने के लिए
77	मैकेनिक-I	अभियंता	स्तर 5	55	47	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	8		निदेशक (प्रशासन) के शामिल होने के बाद 08 पदों के लिए डीपीसी बैठाया जाना है।
78	मैकेनिक- II	अभियंता	स्तर 4	55	18	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत ऐसा न करने पर सीधी भर्ती द्वारा	37		प्राप्त डोजियर - 02, एनएसी प्रतीक्षित : 35
79	स्लॉटिंग एम/सी opr (एसएमओ)-I	अभियंता	स्तर 5	4	0	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	4		मैचिंग सेविंग के लिए
80	एसएमओ-द्वितीय	अभियंता	स्तर 4	5	0	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	5	मैचिंग सेविंग के लिए	
81	बढई	अभियंता	स्तर 4	1	0	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	1	मैचिंग सेविंग के लिए	
82	सहायक स्टोर कीपर	अभियंता	स्तर 2	94	71	पदोन्नति द्वारा 40 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 60 प्रतिशत	23	एनएसी: 02, भेजा गया प्रस्ताव : 10, प्राप्त डोजियर : 01,	निदेशक (प्रशासन) के शामिल होने के बाद 10 पदों के लिए डीपीसी बैठाया जाना है।
83	लोहार	अभियंता	स्तर 2	11	7	पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत	4	नियुक्ति पूर्व औपचारिकताएं: 01, भेजा गया प्रस्ताव: 03	
84	टीओ (एम)	अभियंता	स्तर 1	31	19	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	12	प्राप्त डोजियर: 01, प्रस्ताव : 11	
85	टीओ (एस)	अभियंता	स्तर 1	37	22	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	15	नियुक्ति जारी कर दिया है - 01 ,प्रस्ताव: 14	
86	हथौड़ा-आदमी	अभियंता	स्तर 1	4	1	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	3	भेजा गया प्रस्ताव : 03	

87	आशुलिपिक (ग्रेड- II)	मंत्री	स्तर 4	15	9	सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	6	02 रिक्तियों के लिए - एसएससी से नए डोजियर की प्रतीक्षा की जा रही है क्योंकि 02 प्रतिभागी शामिल नहीं हुए हैं। 03 रिक्तियों के लिए - एसएससी को प्रस्ताव भेजा गया। 01 वेकेंसी के लिए - सरप्लस सेल से एनएसी प्रतीक्षित है।	
88	यूडीसी	मंत्री	स्तर 4	166	93	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत	73		डीपीसी प्रक्रियाधीन : 04, पात्र नहीं 69
89	एलडीसी	मंत्री	स्तर 2	99	56	डीआर 85 % + पीआर 15%	43	एसएससी को प्रस्ताव भेजा गया-38	प्रक्रिया के तहत एलडीसीई: 05
90	गेस्टेटनर ऑपरेटर (सीनियर)	मंत्री	स्तर 2	8	2	पदोन्नति 100 प्रतिशत	6		मैचिंग्स सेविंग्स
91	डिस्पैच राइडर	मंत्री	स्तर 2	1	0	पदोन्नति 100 प्रतिशत	1		प्राप्त एनएसी। एसएससी को प्रस्ताव भेजा गया।
92	स्टाफ कार चालक (ग्रेड- I)	मंत्री	स्तर 5	172	170	पदोन्नति 100 प्रतिशत	2		प्रक्रियाधीन डीपीसी : 02
93	स्टाफ कार चालक (ग्रेड- II)	मंत्री	स्तर 4	148	128	पदोन्नति 100 प्रतिशत	20	एसएससी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए।	
94	स्टाफ कार चालक (ऑफ)	मंत्री	स्तर 2	148	23	डीआर 80 प्रतिशत + पीआर 20 प्रतिशत	125	क्षेत्रों के लिए अधिकृत 121 रिक्तियों के लिए, एनएसी प्राप्त किया जाना है: 01	डीपीसी बैठाया जाएगा : 03
95	एमटीएस	मंत्री	स्तर 1	251	149	डीआर 100 प्रतिशत	102	डोजियर प्रतीक्षित : 52, कार्य-भार ग्रहण प्रतीक्षित है : 01, एसएससी को प्रस्ताव भेजा गया : 30, एनएसी प्रतीक्षित : 19	
96	सफाई वाला	मंत्री	स्तर 1	17	5	डीआर 100 प्रतिशत	12	04 पदों के लिए – बहाली के तहत। कार्य-भार ग्रहण प्रतीक्षित है : 01, प्रस्ताव भेजा गया: 07	
	समूह -ग **कुल**			**2560**	**1739**		**821**		
	सभी पदों का योग			**4017**	**2689**		**1328**		

अनुबंध – III

भूजल मॉनिटरिंग कुओं की स्थिति (मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**भूजल मॉनिटरिंग कुओं की संख्या**				
		डीडब्ल्यू (डग वेल)	**पीजेड (पीजोमीटर)**	**एचपी(हैंड पंप)**	**एसपी (स्प्रींग)**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	674	193			**867**
2	अरुणाचल प्रदेश	26	4			**30**
3	असम	345	28			**373**
4	बिहार	745	23			**768**
5	छत्तीसगढ	1156	268			**1424**
6	दिल्ली	21	93			**114**
7	गोवा	88	44			**132**
8	गुजरात	679	264			**943**
9	हरियाणा	536	795			**1331**
10	हिमाचल प्रदेश	128	0			**128**
11	जम्मू और कश्मीर	287	14			**301**
12	झारखंड	442	20			**462**
13	कर्नाटक	1413	262			**1675**
14	केरल	1374	217			**1591**
15	मध्य प्रदेश	1202	309			**1511**
16	महाराष्ट्र	1724	177			**1901**
17	मणिपुर	0	0			**0**
18	मेघालय	53	11			**64**
19	नगालैंड	22	8			**30**
20	उड़ीसा	1518	82			**1600**

21	पंजाब	202	946			**1148**
22	राजस्थान	708	558			**1266**
23	तमिलनाडु	793	593			**1386**
24	तेलंगाना	293	443			**736**
25	त्रिपुरा	105	16			**121**
26	उतार प्रदेश।	785	202			**987**
27	उत्तराखंड	40	5	129	41	**215**
28	पश्चिम बंगाल	763	786			**1549**
संघ राज्य क्षेत्र						
1	अंडमान और निकोबार	111	2			**113**
2	चंडीगढ़	1	29			**30**
3	दादरा और नगर हवेली	17	0			**17**
4	दमन और दीव	11	2			**13**
5	पांडिचेरी	9	0			**9**
कुल		**16271**	**6394**	**129**	**41**	**22835**

अनुबंध – IV

[प्राक्कथन का पैरा 4 देखिए]

समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण

(एक)	कुल सिफारिशों/ टिप्पणियों की संख्या	18
(दो)	सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है सिफारिश क्र. सं. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, और 18	 कुल – 15 प्रतिशत– 83.33 %
(तीन)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती सिफारिश सं. शून्य	 कुल – 00 प्रतिशत –शून्य
(चार)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है सिफारिश सं. 3,11 और 15	 कुल – 3 प्रतिशत – 16.66%
(पांच)	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं पैरा सं. शून्य	 कुल – 00 प्रतिशत – शून्य